## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

दिनांक : 20.11.2024

क्रमांकः विज्ञापन सं. 20/Exam/SI (Telecom)/RPSC/EP-I/2024-25

अगोभ हारा पुरुषाचन के 2017227 आयोग हारा पुरुषिप्रचनो विमाग के लिए गेर अनुसुरित के के तेकू राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत एवं अनुसूरित केत्र हेतु राजस्थान अनुसूरित केत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (मती एवं सेवा की अन्य शतें) नियम, 2014 के अंतर्गत उप निरीक्षक-दूरसंचार (Sub Inspector-Telecom) के कुल 98 पदों पर मती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विमाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानूसार है :--

s.	No. Of Post (s)		Gen. (	UR)	_		S.C			1.1	S.	T.	_		O.B	.С.			M.F	B.C.		_	E.W	.s.	1
No.		GEN.	GEN. WE	ΦD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	ΦØ	â
1	Non Scheduled Area (94)	25	8	3	0	11	3	1	0	8	2	1	0	14	4	1	0	3	1	0	0	7	2	0	0
		Ioriz	ontal I	Reserv	vatio	n:- 1-	Ex. S	er	Ger	1./UR	-4, SC	2-1, S	Г-1,	OBC-	2, ME	3C-0	, EW	S-1					_	_	_
2	No. Of Post (s)		Gen.	UR)		1	S.C				S.1	Г.			O.B	.С.			M.B	.C.			E.W.	S.	_
		GEN.	GEN. WE	ΜĐ	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV V	GEN.	GEN. WE	αw	DV	GEN.	GEN. WE	WD	Ŋ	GEN.	GEN, WE	WD	Ŋ	GEN.	GEN. WE	αw	M
	Scheduled Area (04)	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0					No	Appl	icab	le				
		Horiz	zontal	Reser	vatio	on:- 1-	- Ex. 5	Ser. •	- Ge	n./UF	R-0, S0	C-0, S	T-0												
ws वेशेष	eviations Used: GEN – G – Economically Weaker S व नोट :— चित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अ	ection	is, GE	N WE	– Ge	neral '	Women	n, W.	D-W	idow,	DV-D	ivorce	e, Ex	Ser	Ex Se	rvice	man					-			

धात्र क पदा क सबय न अपना प्राथामकला क्रम (Preterence) आवश्यक रूप स आनलाइन आवदन म मर, अन्यया उन्ह अनुसूधित क्षेत्र के आरोक्षत पदी के विरुद्ध लोग देव नहीं होगा। अनुसूधित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूधित क्षेत्र के अन्यर्थी ही ऑनलाईन आवेदन करें। आग क्षेत्र के अन्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवंदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अन्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यर्था अपात्र होंगे। <u>टिप्पणी—</u> यदि अनुसूचित क्षेत्र के अन्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देवें।

- नोट :--1. कॉर्मिक (क-2) विमाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी मर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति अनुसूचित जानजातियों एवं कॉर्मिक (क-2) विमाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी मर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अनुसूचित जानजातियों एवं कार्यिक (क-2) विमाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी मर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पत्र तथा उपयुक्त अग्यथीं उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिकितयों को पश्चात्वर्ती तीन मर्ती वर्षों के लिए अग्र-गीत किया जाएगा। तीन मर्ती वर्षों की समापि के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिकितयां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मरी जायेगी परन्तु यदि किसी मती वर्ष में मती नहीं की जाती है, तो रेसे मर्ती वर्ष के इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पितायों का पत्र जाना पर अपायते रोस्टर के अनुसार पत्रों के आखण को प्रमावित नहीं किंगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिकितयों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जानजातियो, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के यदितयों में से मरा जा सकेंगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति प्रप्रवात्व वर्षों में प्रतन्त को (क्रिय) के अनुस्था आपाव) का करका के वर्गीक के प्रत्यास्थित की पिछड़े वर्गों के यदिवर्यों में से पत्र जा सकेंगा जिनक देतिए ऐसी रिक्ति प्रधात्वती वर्षों में प्रतन्त को किया वर्ग को की व्या व्यायवा अपाय आपकायन कर वर्णीक का के का के स्वर्ग को दिया प्रतन्त प्रार्ग के त्या जाने के प्रतन्त करी ते प्रायतन कर की के क्या कि को क्रियों की स्वर्ग के ती विषय करा करा के की विषय करा करा के की विषय अवर्थ का के सार्य कराजे के वित्र प्रतन्त करा के त्यात्व ती से प्रवर करा है।
- 2. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य र किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विश्विजन्म विवाह / परित्यवता / तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिवेतयों 3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विश्विजन्म विवाह / परित्यवता / तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिवेतयों
- विरोध में प्रियम भे पात मिल्य का बाल्यनी क्वाउट भारति का प्रियमा भारति के प्रायम भारति के प्रायम के प्रायम के किए का मिल्याने के किए आपक्षित सिंहियों के प्रियम के लिए आरक्षित सिंहियों के दिए आरक्षित सिंहियों के दिए आरक्षित सिंहियों के दिए आरक्षित सिंहियों के विष्णत (Vice Versa) के लिए आरक्षित सिंहियों में भरा जा सकेंगा। पर्यात रूप से विधवा और विश्विन्न विवाह / परित्यतता / तलाकशुदा भोटवाओं से या इसके विषणति (Vice Versa) विवेदा उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा मुरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी विवितयां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा मुरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अन्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, जनके लिए इस प्रकार आरक्षित सिंतियां िपराची परित प्रभाव के अन्य गढलाजा होते. पर जाएगा जाए भाव तथा उपयुक्त गाइला जावला के उत्त के साथ के प्रभाव के कि उस प्रदर्ग के पुरुष के अन्यविधों हात भरो जाएगी जिसके लिए शिव्तवा आसंसित हैं। महिला अग्येविधों के लिए इस प्रकार आसंसित सिति परचात्वती वर्ष के लिए अग्रमीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विधिन्न विवाह/परित्यवता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आस्त्रण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- 4. विशेष योग्यजन∕निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अन्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा
- 5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुवत सूतपूर्व सैनिकों की अनुपलबता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित शिक्तयां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और रिक्तियां की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
- तर जनता का राज्यात्रा प्रभाव प्रभाव राज्य अवस्थ राज्य का अवसाय का पार्षपा एका पार्षपा रहा राज्यात्रा का वावमा। ह राजस्थान दियागतन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भरी वर्ष में कोई रितित प्रयुक्त वैवमार्क निश्चलाजन की अनुपालबता के कारण या किसी अन्य कारण सं भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिवित आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैबमार्क निश्चलतता की नियास्ति विभिन्न श्रीणयों में अन्तपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निश्चलतजा उपलब्ध नहीं होता है तो उत्तर प्रथमता की नियासित विभिन्न श्रीणयों में अन्तपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निश्चलतजन उपलब्ध नहीं होता है तो जिलेका जनता की नियासित विभिन्न श्रेणयों में अन्तपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निश्चलतजन उपलब्ध नहीं होता है तो
- उस प्रधमत: निश्चतता को नियास्त विभन्न आणया म अत्तरपारवर्तन (Interchange) कर मेरा जायगा योव उस वर्ष म मा काइ निश्चसत्तज उपलब्ध नहा होता नियोक्त जर प्रसित को नियाक्तजन उपलब्ध नहा होता है ता नियोक्त जर प्रसित को नियाक्तजन उपलब्ध नहा होता के पर सकेंगा। 7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उत्तत लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अत्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर हारा D.B.S.A.W. No. 116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिता जो विवाहीपरान्त राजस्थान राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसदी/ओबोसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाम नहीं दियो जावेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- 8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अन्यर्थियों को आरक्षण का लाम देय होगा।

as

- िपणी:--'विन्दु संख्या 01 से 08 तक के आवधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।'' अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-I- B.S.c. with Physics & Mathematics from a University established by law in India or any other degree declared equivalent thereto by the Government. OR B E/B Tech or equivalent Degree in Telecommunications /Electronics /Electrical Engineering from a University established by law in India or any other degree declared equivalent there to by the Government.
- Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture. 2-Noteing Konnege of Timina Winter in Exchange of Augustantia Context
   Note:
   अन्यर्थी को वाछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुमव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अम्यर्थी को आंतलाईन आवेदन पत्र को अप्रकारित (Withdrawal) करने का विकत्य उपलब्ध होगा।
   असत्य एवं गलत सूचना के आवार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकत्य उपलब्ध होगा।
   असत्य एवं गलत सूचना के आवार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकत्य उपलब्ध होगा।
   असत्य एवं गलत सूचना के आवार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना मारतीय न्याय संहिता (BNS) की घारा 217 के तहत वण्डनीय अपरघा है। ऐसे अम्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग /पात्रता जांच /साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर आगामी
- (Diss) को बारी 271 के प्रिल पश्चिम अपये को भुद अस्था को कालापर में आर्थमातान भारत जाना के प्रति जान से काम से का पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। नोट :-- साक्षात्कार से पूर्व अमिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान

1/6

	ठा रनिंग बैण्ड	पेमैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।											
	<sub>ब</sub> ण्ड सीमा	दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट : उक्त पद विमाग द्वारा वर्ष 2007 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया दिनांक 01.01.2025 को अधिकायु के होते है, उन्हे नियमों में विहित प्राक्यानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष	का आतारक्त छूट दय ह										
ar ai		विज्ञापित पत्ने के अंतर्गत दर्शाये गये आरक्षित पत्नें हेतु विभिन्न वर्गो∕ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में घूट के प्र अन्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय										
क्र.सं. 1.	হাতা০ হাত	अन्यायपा पंग पर ६५ जन्य विराद आन्या य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष	5 वर्ष										
	Male Ca	ndidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes	Five Years										
2.	and Eco	nomically Weaker Sections of Rajasthan State की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला	10 वर्ष										
2.	Woman	Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward	Ten Years										
		and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष										
3.	Woman	Candidate belonging to General Category	Five Years										
4.	भूतपूर्व सै	मूतपूर्व सैनिकों और रिजर्विष्ट अर्थात् जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो, के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age-limit mentioned above shall be 40 years in the case of Ex-Services Prisonnel and the Reservists, namely the service personnel who a											
	Construction of the Dimensional												
5.	राजस्थान	राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारियों तथा कर्त्तव्य पालन करते समय मारे गये पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के आश्रितों के लिये आधिकत											
	आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी। 3 Years in case of the candidates belonging to the State Government employees and the dependents of the deceased Police Officers/Officials killed												
	the discharge of their dution												
6.	निर्मुक्त अ	arge of inter outces. पात कमोशा प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चवात् जब वे आयो समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से प	ग क समक्ष उपास्थत हा, गात्र थे।										
	These sheets	Delegend Emproperty Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the ar	my, shall be deemed										
		Release Linlegency commissioned officers and soft of the commission barries are the soft of the soft											
नटिः⊢	- ।वामन्न व दी गई ह	गों / अन्य विशिष्ट श्रीणयां हेतुं दय आयुं सामा में छूट के उक्त प्रविधानां जिनम सामान्य स्थित में आयकतन आयु सामा 1, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।	.,										
नोट -			र बार्गिज किन्द्री की पट W										
71	का आधिकता	ति आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 06 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यर्थियों को उपरोक्त न आयु सीमा में छूट का लाम दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाम नहीं दिया जायेगा।											
0.7	The las	a) लियाम के प्रमिद्ध दिसांक 26 7 2017 एवं प्रेस दिसांक 14 9 2017 व 19 02 2021 के अनुसार लम्बवत (Vertical) व क्षीत	ज (Horizontal) आरक्ष										
3	अंतर्गत किस	2) (बोन) के परित गया है के 2017 के 1977 के 1977 के अपने के अतिरिक्त उनको देये किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु) ते श्रेणी के तिए आर्थक्षेत पर्दा हेतु यदि किसी अन्यर्थी द्वारा शुरूक के अतिरिक्त उनको देये किसी अन्य रियायत (जैसे– आयु) मान लिया जाता है तो उसे सामन (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।	सामा, अक, ाफाजकले पि										
3 7	आाद) का ल राजस्थान से	ान लिया जाता है तो उस सामान्य (अंगारावता) सिंवराया के अति वियासित नहीं किया जावना। वा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी ब	नी आयु 60 वर्ष से अधिव										
	refre At												
4, 3	अन्य विशिष्ट प्रावधान ही	। : श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की रि मान्न होंगे।											
,	AIGGI-I DI	अन्य विवरण											
चयन	प्रक्रिया	अन्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवश्य उत्तरपत्रक/उत्तरपुरितका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा स	यकता होने पर आयोग कोगा। संबंधित सेवा निय										
1.1		उत्तरपत्रक/ उत्तरपुरितको के मूल्योंकन में स्कालग/ मांडरशन/ नामलाइजरान (तामान्याकरन) प्रकार की जनगणा जा											
2 E		ि नियम 23 के अनुसार आयोग द्वारा उपयक्त पाये गए अभ्यार्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी की अनुशासत	किए जायग जा लिखित										
		अत्तरात्वक / उत्तरभुत्तराको के मूल्याको न रकारा / माजवरी / माजवर्कन (पालन नकेर) - व्याप्त को की जनुशसित तियम 23 के अनुसार आयोग होता उपयुक्त गया में गए अमयीयों के नाम राच्य सरकार / नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशसित   एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।	किए जायग जा लिखित										
	का स्थान	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।	किए जायग जा लाखत										
एवं मा	ाह	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। व परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।	किए जायग जा लिखित										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र	ाह योजना क्रम	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। व परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पादयक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी किया जाएगा।	किए जायग जा लिखित										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुभार भेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। व परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पात्यक्रम आयोग की वेबसाइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विस्तांक 28.11.2024 से दिनॉक 27.12.2024 सति 12–00 बजे तक। य उत्तकार के वेबसाइंट, https://rpsc.raiasthan./	कए जायन जा लाखत 2007.in पर उपलब्ध ऑन										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुवित किया जायेगा। व परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Omine/Omine) ली जायेगी। सभी प्रष्म वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाद्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विनाक 28.11.2024 से दिनॉक 27.12.2024 रात्री 12–00 बजे तरू। 1. उक्त पद हेतु औनताईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व संप्रेयम अन्यथी आयोग की वेबसाइट <u>https://rpsc.rajasthan</u> पार्ट राज्य करने के स्वराम हिंगा गि दिगा–निर्वेषण (Instructions for Applicants). विस्तुत विज्ञापन एवं सं	किए जायन जा ालाखत g <u>ov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बंधित सेवा नियम का अ										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुवित किया जायेगा। व परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रष्म वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पादयक्रम आयोग की वेबसाइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विराक 28.11.2024 से दिनांक 27.12.2024 सत्रि 12–00 बजे तक। 1. उत्तव पद हेतु औंतलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संत्रप्रधम अम्पर्थी आयोग की वेबसाइट <u>https://psc.rajasthan.</u> , आवेदन-पत्र मरने के साबन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तुत विज्ञापन एवं सं आववर फर से के रुप्ते के तथे। तदुपात्म की अम्पर्थी अंतलाईन आवेदन करें। <u>आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अ</u>	किए जायन जा ालाखत g <u>ov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बंधित सेवा नियम का अ										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार भीरेट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में वधासमय सुचित किया जायेगा। व परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाद्यक्रम आयोग की वेससाइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। दिनांक 28.11.2024 सी दिनांक 27.12.2024 सीरे 12-00 बजे तक। 1. जल पद हेतु औनलाईन आवेदन-पत्र भरसे से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <u>https://rpsc.rajasthan.</u> ; आवेदन-पत्र भरने के समबन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं सं आवयर्थक रूप से कर लेवें। तपुरापत ही जम्पत्र वर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अ (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही माग /हिस्सा माना जायेगा)	(कए जायन जा लाखत g <u>ov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बंधित सेवा नियम का अ म्प्य <b>थियों के लिए दिशा</b> -										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुवित किया जायेगा। परीक्षा क्स्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पादयक्रम आयोग की वेस्साईट पर पृथक से जारी किया जाएगा। दिनांक 28.11.8024 से दिनांक 27.12.2024 रात्रि 12-00 वजे तर्क। 1. जक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संवेग्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेक्साइट https://psc.rajasthan.u आवेदन-पत्र भरने के साम्बच्ध में दिये गये दिशा-निर्देश (Interior and a set an	ave जायन जा लाखत <u>egov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बिहित सेवा नियम का अ ल्यार्थियों के लिए दिशा– ालब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में उ										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार भेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में वधासमय सुवित किया जायेगा। व परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विरात् पादयक्रम आयोग की वेबसाइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विनांक 28.11.2024 सी विनांक 27.12.2024 सी 12-00 बजे तक। 1. जत्त पाद हेतु औनताईन आवेदन-पत्र भरसे पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <u>https://rpsc.rajasthan.</u> आवेदन-पत्र भरने के समक्ष में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं सं आवयरक रूप से कर लेवे। तदुरायन्त 81 अन्यर्थी ऑनजाईन आवेदन करे। <u>आयोग की वेबसाइट पर प्रपत्लब</u> अ (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/दिस्सा माना जायेगा) 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <u>https://rpsc.rajasthan.gov.in</u> पर उप Click कर अथवा एसएसओ, (SSO) पोर्टल <u>https://soc.rajasthan.gov.in</u> से One Time R	ave जायन जा लाखत gov.in पर उपलब्ध ऑन बंधित सेवा नियम का अ स्वय्थियों के लिए दिश– ालब्द Apply online lin n Apps (G2C) में व n Apps (G2C) में व										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार भीरट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुवित किया जायेगा। व परीक्षा कस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत यादयक्रम आयोग की वेस्साईट पर पृथक से जारी किया जाएगा। दिनांक 28.11.8024 से दिनांक 27.12.2024 रात्रि 12-00 बजे तक। 1. जक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संतप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेक्साइट https://psc.rajasthan. आवेदन-पत्र मरने के साम्वप्त में दिये गये दिशा–निर्देश (Instructions for Applicants), किस्तुत विज्ञापन एवं सं आवेदक रूप से कर तवें। तदुपारत की अन्यशी ऑनलाईन आवेदन करे। आयोग की वेक्साइट पर उपलब्ध अ (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही माग्/हिस्सा माना जायेगा] 2. औनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेक्साइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उप Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टन https://sor.ajasthan.gov.in से Login कर Citize Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Re अम्पर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समक्रम परीक्षा एवं आधार काई/पेत कार्ड/यांटर कार्य भे तिक्र प्रथम एव. एक के देवराज का इन्यान एव डॉक्यमेंटस अपरार्जी के स्वर्भा प्रयं कार्य वीगी। प्रथम बार One Time Re अम्पर्थी के नाम, पिता के जान, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समक्र परीक्षा एवं आधार कार्ड/यों होंगे।	ave जायन जा लाखत gov.in पर उपलब्ध ऑन बहित तेवा नियम का अ स्वर्थियों के लिए दिशा– ालब्द Apply online lin n Apps (G2C) में च egistration (OTR) कर ई/ ब्राइयिंग लाइसेंस आई										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार भीरेट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा रचना व तिथि के संबंध में यथासमय सुवित किया जायेगा। व परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विराक्त 28.112024 से विनार्क 27.122024 पत्रि 12-00 बजे तर्क। 1. जत्वत पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संवय्रध्यम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.a आवेदन-पत्र भरने के समब्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तुन विषापन एवं से आवेदय-पत्र भरने के समब्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तुन विषापन एवं से आवेदय-पत्र भरने के समब्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तुन विषापन एवं से आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर प्रजब्ध श्री (Instructions for Applicants) विद्यापन का ही माग/दिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थीयों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उप Click कर अथवा एस.एस.की. (SSO) पोर्टल https://so.rajasthan.gov.in से Login कर (Eitage Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वर One Time Registration (STR) करने आयाग प्रथम वर्य One Time Re क्रायर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेपडरी/समकक्ष परीक्षा एवं आवार कार्व/देन कार्ड/वेगटर कार्व से किसी एक आइ.डी, पुरू के विवरणों का इन्दाज एवं अंवर्य्यूसिंट्स अपसोब कर्म अनियार्व होंगे। 2. कि व्यवणि रेग पर के ताम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेपडरी/समकक्ष परीक्षा एवं आवार कार्व/देन कर त्यांकर कर्म के कियोग कर आई.डी. क्रायर्थी के नाम, पता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सिकेपडरी/समकक्ष परीक्षा एवं आवार कार्व/देन कार्ड/देवोटर कार्ड से किसी एक आई.डी, प्रुत के विवरणों का इन्दाज एवं वेडय्यों कर अन्योह कर अनियार्य होगि। 2. क्यायर्जनियों ताम स्तर्ग से ते प्राय कि का इन्दाज एवं वेडयूसेत्र अपस्र कर अनियार्य होनी ति होगे।	ave जायन जा लाखत बंधित सेवा नियम का अ म्बय्थियों के लिए दिशा- लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में च gejistration (OTR) क र्द्र ब्राइविंग लाइसेस आई opy, in से Login कर Ci										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। वे परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाद्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी विषया जाएगा। विन्तंक यह 81.1024 से दिनांक 27.12.2024 रात्री 12–00 बजे तरू। 1. उत्तम पद हेतु औरताईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संप्रेयम अन्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan आवेदन-पत्र भरने के समबन में दिये गये दिया-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं सं आवर्यक रूप से कर लेवें। तदुपरात्त के अन्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अ (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही माग्/हिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in स्था कर अध्य एस.एस.औ. (SGO) पोर्टन <u>https://rssc.rajasthan.gov.in</u> से Login कर Citize Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वार One Time Re अग्वर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, सैकेपखी/ सराक्ष सक्षी एस.एस.ओ. पोर्टन <u>https://ac.rajasthan.gov.in</u> से क्री एक आईडी. पूछ के विदरणों का इन्दाज एव डॉक्यूमेंट्रस अपलोड करने अनिवर्ध होंगे। 3. जिन अन्यर्थीयों हाल पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अपर्थी (पराएस.ओ. पोर्टन <u>https://so.rajasthan.gov.in</u> इर्म ठार्थ रेवार कर्ज से किसी एक आई.डी. पूछ के विदरणों का इन्दाज एव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अन्यर्थियों हाल पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अपर्थी (पराएस.ओ. पीर्टन <u>https://so.ajasthan.gov.</u>	ave जायन जा लाखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बिधित सेवा नियम का अ क्यॉर्थेयों के लिए दिशा– लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में च egistration (OTR) कर \$/ ब्राइविंग लाइसेंस आई <u>by.in</u> से Login कर Ci										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। वे परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ती जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाव्रकम आयोग को वेशसाईट पर पुरुषक से जारी किया जाएगा। विनांक 28.11.2024 से दिनांक 27.12.2024 रात्रि 12–00 बजे तक। 1. जत्वत पद हेतु जीनताईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संद्रप्रधम अन्यर्थी आयोग की वेश्वसाइट https://rpsc.rajasthan आवेदन-पत्र भरने के समक्ष्म में दिये गये दिशा–निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं सं आवरयक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अन्यर्थी आंतालाईन आवेदन करें। आयोग की वेश्वसाइट पर उपलब्ध अ (Instructions for Applicants) दिशापन करों से मान/हिस्सा माना जायेगा। 2. औरताईन आवेदन करने के लिए अन्यदियों को आयोग की वेश्वसाइट तिप्तिs://rscc.rajasthan.gov.in 12. औरताई आवेदन करने के लिए अन्यदियों को आयोग की वेश्वसाइट तिप्तिs://rscc.rajasthan.gov.in पर उप Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <u>https://sso.rajasthan.gov.in</u> से Login कर Clitere Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होना। प्रथम वरा ठान जीवर से से किसी एक आई.बी. पूछ के विवरणों का इन्दाज एवं अंत्यर्थ्वर (सरसअ). जीर्डन <u>मोनिंश (अंतर के अनिवार्ध ने कार्ड</u> /पन कार्ड/वोर कार्थ/यों वेश सीय से किसी एक आई.बी. पूछ के विवरणों का इन्दाज एवं अंत्यर्थ्वर अपलोड करने अनिवार्य के आयार पर ऑन्वाई 4. क्रम्थर्थि द्वारा One Time Registration करने ठे पश्च वर्थ राप्त अपने ले मिंग्र-//sso.rajasthan.go Apps (C2C) ने उपलब्ध Recruiment Portal का ख्यान कर अपने OTR निर्दा <u>के नाम, पिता के नाम, जिन्त</u> मि कार्य, व्यायक नाम, जिपने ति कर्च, व्यायन कर योने जीर संत्य के नाम, पिता का नाम, जन्म न 4. अम्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के प्रथल व्याय वर अपने OTR निर्दा विवरण में कि नाम, जन्म नाम, जन्म वर्ड, बार्य, व्याय के व्यान के व्यान पर के कि नाम, जन्म नाम, जन्म व्यान कार्य, व्याद्व विवरण में किसी, माक प्राय्क का प्राय्त कर्ड, याक्य, व्यायक्त कर्च, व्यायत्त विवरण में किसी, माक नाम, जन्म पर्व, वार्व व्याय कर व्यात्त व्या व्यान वर स्रान्य वर्व वाल्य के वित	ave जायेग जा लाखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बंधित सेवा नियम का अ स्वर्थियों के लिए दिशा– लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में च दुध्रांstration (OTR) क \$7 झाइविंग लाइसेंस आई <u>ov.in</u> से Login कर Ci न आवेदन करें। लिथि, लिंग, सैकेण्डरी/र का संशोधन किया जाना										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	एवं राक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। व परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विरत्त पाद्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी विया जाएगा। विरत्त पाद्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी विया जाएगा। विरत्त पाद्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी विया जाएगा। विरात 28.11.2024 से दिनॉक 27.12.2024 रात्री 12–00 बजे तरू। 1. उत्तम पद हेतु औतताईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संप्रेयम अन्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan आवेदन-पत्र भरने के समक्य में दिये गये दिया-निर्देश (Instructions for Applicants). विस्तुत विज्ञापन पूर्व सं आवरचर रूप से रुप ते वे तिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in 2. ऑनलाईन आवेदन करने के तिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in 2. ऑनलाईन आवेदन करने के तिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in 2. ऑनलाईन आवेदन करने के तिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rosc.rajasthan.gov.in 4. द्रमर्था के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, सैकेपक्षे/ समकक्ष परक्षा कार्ज/ पीन कार्ड/ यो ता कर्ट तेकरी कर आवचा एस:एस.औ. (SSO) पोर्टन https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citize Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना डोगा। प्रथम वार One Time Re अत्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, सैकेपक्षे/ समकक्ष प्रशीसा एवं आया कार्ड/ पैन कार्ड/ वेवट को से तिसी एक आई.d. पूर्फ के विरणी का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य डोंगे। 3. जिन अन्यर्थियों हाल पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अप्त्र्थी एस.एस.डी. पोर्टन https://so.rajasthan.gov Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने पत्र स्थन के नाम, पिता के नाम, जन्म परीक्षा का विदरण एवं आयार कार्ड/ पैन कार्ड/ योटर कार्ड/ द्रावर निवर यार्ड.डी वियरण में किसी पिक नी परकाप त्रमी हारा One Time Registration करने के पृथवा (OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता में जिसी परकाप पत्रिता का विदरण एवं आयार कार्ड/ पैन कार्ड/ योटर कार/ क्रीपड प्राजिक विवरण का श्	ave जायन जा लाखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बचित सेवा नियम का अ क्यर्थियों के लिए दिशा– लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में च eggistration (OTR) कर <i>f</i> / ब्राइविंग लाइसेस आई <u>bv.in</u> से Login कर Ci न्य. तिथि, लिंग, सैकेण्डरी / का संशोधन किया जाना तावेजों में अंकिज प्रविष्टि										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। व परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रष्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पादयकम आयोग की वेबसाइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विराक 28.11.2024 से दिनंक 27.12.2024 रात्रि 12-00 बजे तक। 1. उत्तत पद हेतु औनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संतुप्रधम अम्पर्थी आयोग की वेबसाइट https://psc.rajasthan आवेदन-पत्र मरने के साब्यून में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तुत विज्ञापन एवं सं आवंदयक रूप से कर तेवें। तदुपारन ही अम्पर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट ettps://psc.rajasthan 3. जंतलाईन आवेदन करने के लिए अन्यवियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in प रही। कर अथवा एस.सरको, (SSO) पोर्टन https://sor.rajasthan.gov.in से Login कर Citize Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वय One Time Re अमयर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सकेण्डरी/समक्ष परीक्षा एवं आयार कर्ब / पैन कार्ड / वोर वर कर्ष से किमा एक आदे पुरू के विरण्ड का इन्द्राज एवं डॉव्यूमेंट्रस अपलोड करने जीनवार्द होगे। 3. जिन अन्यवियों द्वारा पूर, पुरू के विरण्ड का इन्द्राज एवं डॉव्यूमेंट्रस अपलोड करने जीनवार्द होगे। 3. जिन अन्यवियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अपवर्थी (सराएसओ. पोर्टत https://sor.rajasthan.gov.in दर्श वे वोटर कार्ड से किमी एक आदंदे, पुरू के विरण्ड का इन्द्राज एवं डॉव्यूमेंट्रस अपलोड करने औनवार्द होगे। 3. जिन अन्यवियों द्वारा पुर्व में OTR किया जा चुका है, वे अपवर्श (सराएसओ. पोर्टत विरोग) 3. जिन अन्यवियों द्वारा पुर्व में OTR किया जा चुका है, वे अपवर्श (सराएसओ. पोर्टत विरोग) 4. अपयर्थी द्वारा (De Time Registration करने के पृर्व वायात पत्र ते परिश्त मिकी मिकार) 4. अपयर्धी द्वारा पित साल सहर्य कारा कर करे, पहचात्र (TR Profile ने संदर) के नाम, पिता के नाम, जाना स्वीलाई 4. अपर्या हारा One Time Registration करने वे प्रयद शाव (TR Profile ने संतर नं सं नाम, पिता के नीम, जाना स्वीहानीपा के तात. तानिर करले से पूर्व विर्या स्वा खुकार है तो जानामर कार्ड/आया	ave जायन जा लाखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बचित सेवा नियम का अ क्यर्थियों के लिए दिशा– लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में च eggistration (OTR) कर <i>f</i> / ब्राइविंग लाइसेस आई <u>bv.in</u> से Login कर Ci न्य. तिथि, लिंग, सैकेण्डरी / का संशोधन किया जाना तावेजों में अंकिज प्रविष्टि										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुदित किया जायेगा। व परीक्षा क्स्तुनिश्च रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न क्स्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विर्त्तत यादयकन आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विर्त्तत यादयकन आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विर्त्ताक द्वरा 10204 से दिनोट 7.12.2024 रात्रि 12-00 बजे तर्छ। 1. जतत पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संवप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <u>https://psc.rajasthan.</u> आवेदन-पत्र भरने के साबच्य में दिये गये दिशा–निर्देश (Instructions for Applicants), किस्तुत विज्ञापन एवं सं आवेदयक रूप से केर त्वेते। तदुपरात्त कि अन्यर्थी आंग्रेग के वेबसाइट <u>https://psc.rajasthan.gov.in</u> पर उप (Instructions for Applicants) विज्ञापन को डी माग/हिस्सा माना जायेगा) 2. औनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <u>https://psc.rajasthan.gov.in</u> पर उप Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <u>https://ssc.rajasthan.gov.in</u> से Login कर Clitze Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना डोगा। प्रथम बार One Time Ro अम्पर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/योट कार्थ/योट कार्थ से किसी एक आई.डी. पूरु के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉवयूमेंट्स अपलोब करने आया पत्र जीन्त्यी दे जिन अप्यर्थियों हाप (पत्रं में OTR किया जा चुका हे दे व्ययूमेंट्स अपलोब करने औनिया होते। 3. जिन अप्यर्थीयों हाप (पत्रे को प्रकार कर) के प्रचात कर त्रे व्ययत्र (त्र साध्र प्रत्राक्षेत्र) विर्वाय को/योट कार्थ सं क्रायाई द्वीर One Time Registration करने के प्रचात (TR Profile में स्वयं के नाम, जिता) में काम, ज्यन म साख्यानीपुर्यक मिलान पुनिश्चित कर से या पूर्व आया? अर्डन्ताई आयार अर्ड तियही दियण में किसी में प्रकार करे करे दिया के प्रकार कर् साख्यानीपुर्यक मिलान पुनिश्चित कर से युर्व आया? जावपुर SSO प्रोकाइल राई जीवत विर्य कर्य के जी (SSO पी की (Correction करने के प्रचात की COTR करने हे प्रवरिक जी कर्यन के कर्य करे वि.	ave जायन जा लाखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बंधित सेवा नियम का अ लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में उ ggistration (OTR) कर ई/ ड्राइविंग लाइसेंस आई <u>pv.in</u> से Login कर Ci न आवेदन करें। तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/र का संशोधन किया जाना तोवेजों में अंकित प्रविष्टि प्रविष्टियों में आवश्यक स										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुवित किया जायेगा। व परीक्षा क्स्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रष्न क्स्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत यादयक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक ले जारी किया जाएगा। वित्तांक यदा-10204 से दिनांक 27.12.2024 रात्रि 12-00 बजे तरू। 1. उत्तत पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संप्रेयम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://psc.rajasthan आवेदन-पत्र भरने के साबक्ष में दिये गये दिशा–निर्वेश (Instructions for Applicants), किस्तुत विज्ञापन एवं सं आवंदयक रूप से कर तेवी। तदुपरात्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर एपलब्ध अ (Instructions for Applicants) विज्ञापन को शामग कि योनताईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर एपलब्ध अ (Instructions for Applicants) विज्ञापन को शामग की वेबसाइट https://psc.rajasthan.gov.in पर उप- Click कर अथवा एस एस.औ. (SSO) पोर्टन https://soorajasthan.gov.in से Login कर Citize Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वार One Time Re अमयर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेपडरी /समक्र परीक्षा एवं आयाय कर्ड/पैन काई/ योर काई से किसी एक आईबी, एक के दिवरण का इन्यात एवं वेजयेगुर भारकांक करने अनिया दो होंगे। 3. जिन अग्यर्थीयो हागा पूर्व में OTR किया जा चुका है दे अग्यर्थी (सरासओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.im पर जॉनताई 4. अत्यर्थी हारा One Time Registration करने के पर्वाल (OTR Profile में स्वयं के नाम, जिना के नाम, जना 4. अत्यर्थी हारा One Time Registration करने के प्रथा पत्र आयार पर जॉनताई 4. अत्यर्थी हारा One Time Registration करने और प्रयाल (OTR) काहि संख्य के नाम, जिना के नाम, जना, जना, जना, 4. अत्यर्थी हारा एवं आयार कार्ड/पेन कार्ड/प्रेन कार्ड/ प्रांड कर्ड/ वेया कार्ड.8. विवरण का की नी भा प्रकार 4. अत्यर्थी हारा One Time Registration करने के प्रयाल (OTR Profile में सर्व के आयार पर जॉनताई) 4. अत्यर्थी हारा एवं आयार कार्ड/ पैन कार्ड/ योटर कार्ड/ प्रांड/ योकिटर पर आयार कार्ड/ के क्राविक नाम, जिना तही होगा। अतः OTR करने से पूर्व आयार/जनाह/ जरावर ते प्रयाला कांड/ या कार्रवी/ आया	ave जायेग जा लाखत <u>egov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बबित तेवा नियम का अ क्वयधियों के लिए दिशा– लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में च egistration (OTR) कर <u>द्रि</u> द्वांता ते दिशा ने न आवेदन करें। लबिध, तिंग, सैकेण्डरी/२ का संशोधन किया जाना तावेजी में अंकित प्रविधि प्रविचियों में आवस्यक स् का नाम, जन्मतिथि व दि कगी इर्द कोरी व वर्षा या										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुवित किया जायेगा। व परीक्षा क्स्तुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रष्न क्स्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत यादयक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक ले जारी किया जाएगा। वित्तांक यदा-10204 से दिनांक 27.12.2024 रात्रि 12-00 बजे तरू। 1. उत्तत पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संप्रेयम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://psc.rajasthan आवेदन-पत्र भरने के साबक्ष में दिये गये दिशा–निर्वेश (Instructions for Applicants), किस्तुत विज्ञापन एवं सं आवंदयक रूप से कर तेवी। तदुपरात्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर एपलब्ध अ (Instructions for Applicants) विज्ञापन को शामग कि योनताईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर एपलब्ध अ (Instructions for Applicants) विज्ञापन को शामग की वेबसाइट https://psc.rajasthan.gov.in पर उप- Click कर अथवा एस एस.औ. (SSO) पोर्टन https://soorajasthan.gov.in से Login कर Citize Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वार One Time Re अमयर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेपडरी /समक्र परीक्षा एवं आयाय कर्ड/पैन काई/ योर काई से किसी एक आईबी, एक के दिवरण का इन्यात एवं वेजयेगुर भारकांक करने अनिया दो होंगे। 3. जिन अग्यर्थीयो हागा पूर्व में OTR किया जा चुका है दे अग्यर्थी (सरासओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.im पर जॉनताई 4. अत्यर्थी हारा One Time Registration करने के पर्वाल (OTR Profile में स्वयं के नाम, जिना के नाम, जना 4. अत्यर्थी हारा One Time Registration करने के प्रथा पत्र आयार पर जॉनताई 4. अत्यर्थी हारा One Time Registration करने और प्रयाल (OTR) काहि संख्य के नाम, जिना के नाम, जना, जना, जना, 4. अत्यर्थी हारा एवं आयार कार्ड/पेन कार्ड/प्रेन कार्ड/ प्रांड कर्ड/ वेया कार्ड.8. विवरण का की नी भा प्रकार 4. अत्यर्थी हारा One Time Registration करने के प्रयाल (OTR Profile में सर्व के आयार पर जॉनताई) 4. अत्यर्थी हारा एवं आयार कार्ड/ पैन कार्ड/ योटर कार्ड/ प्रांड/ योकिटर पर आयार कार्ड/ के क्राविक नाम, जिना तही होगा। अतः OTR करने से पूर्व आयार/जनाह/ जरावर ते प्रयाला कांड/ या कार्रवी/ आया	ave जायेग जा लाखत <u>egov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बबित तेवा नियम का अ क्वयधियों के लिए दिशा– लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में च egistration (OTR) कर <u>द्रि</u> द्वांता ते दिशा ने न आवेदन करें। लबिध, तिंग, सैकेण्डरी/२ का संशोधन किया जाना तावेजी में अंकित प्रविधि प्रविचियों में आवस्यक स् का नाम, जन्मतिथि व दि कगी इर्द कोरी व वर्षा या										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। वे परीक्षा क्सनुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न क्सनुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विरत्तव पाद्यकम आयोग की वेबसाइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। दिनांक 28112024 से दिनंक 27.122024 रात्रि 12–00 बजे तक। 1. उत्तवा पद हेतु औतताईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संप्रधम अन्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan आवेदन-पत्र भरने के साब्स्य में दिये गये दिशा-निर्वशा (Instructions for Applicants) विरस्तु विज्ञामन पूर्व सं आवेदन पत्र भरने के साबन्ध में दिये गये दिशा-निर्वशा (Instructions for Applicants) विरस्तु विज्ञामन पूर्व आवेदन असे के त्वर्वे । तपुरापत्त के आयेथी जो आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in (Instructions for Applicants) विष्ठापन का ही मान/हिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उप Click कर अथवा एसएएस.औ. (SO) पीर्टन https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Clitzer Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वार One Time Re अम्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, सैकेपडरी/ समकक्ष परिक्षा एवं आया कार्व/ भी कार्ड/ योटर कॉ से किसी एक आई.वी, पूर्फ के विररणों का इन्याज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अत्थर्थियों हाल पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अम्पर्थी (स्परस.डी. पीर्टन https://son.ajasthan.gov.in Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/ संख्या के आया पर ऑनलाई तेखरा या का विरारण एवं आयार कार्ड/ पैन कार्ट/ योटर कार्ड/ प्राव्हि साइल से आई.डी. विरण्म में त्रीनी माम, जन्म परीक्षा का विराण पूर्व में OTR किया जा चुका है, येवर कार्ड/ प्रांहल से आई.डी. विरारण में कीनी भी क्षेम नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आयार/ अत्तार/ अत्रायत्त प्रह तो जावांस कार्ड के नाम, पिता के नाम, जन्म (Correction) कराने के प्रचात् ही OTR व जीवा दोई आयार/ उत्तर ही तो जानायार कार्ड/ अधारय कार्ड / SSO ID की (Correction) कराने के प्रचत्त ही पर्व करने यो दुर्छ अत्यर्थी आयार कार्ड में दर्ज प्	ave जायन जा लाखत gov.in पर उपलब्ध ऑन बचित सेवा नियम का अ म्बर्थियों के लिए दिशा– लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में च eggistration (OTR) कप / ब्राइविंग लाइसेस आई का संशोधन किया जाना ताविज में अजिक प्रविध्यि प्रविष्टियों में आवश्यक र का नाम, जन्मतिथि व दि लगी हुई फोटो 3 वर्ष या ताकि सडी सूचना आवेद										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जाएगा। वे परीक्षा क्सनुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ती जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पावृत्यक आयोग की वेशसाईट पर पुष्ठक से जारी किया जाएगा। विनाक 28.11.2024 से दिनॉक 27.12.2024 पत्रि 12–00 बजे तक। 1. जत्वत पद हेतु जीनताईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संत्रप्रधन अन्यर्थी आयोग की वेश्तसाइट https://rpsc.rajasthan आवेदन-पत्र भरने के समक्ष्य में दिये भावे दिया-निर्देश (Instructions for Applicants), क्षिस्तुत विज्ञापन एवं सं आवेदन पत्र भरने के समक्ष्य में दिये भावे दिया-निर्देश (Instructions for Applicants), किस्तुत विज्ञापन एवं सं आवेदन करूप से कर लेवे। तदुपरान्त ही अन्यर्थी आंगलाईन आवेदन करें। आयोग की वेश्वसाइट Littps://rpsc.rajasthan.gov.in (Instructions for Applicants) दिष्ठापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। 2. औरताई आवेदन करने के लिए अन्यदियों को आयोग की वेशसाइट निर्माष्ठ://soc.rajasthan.gov.in पर उप Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <u>https://sso.rajasthan.gov.in</u> से Login कर Clitze Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वर One Time Re अम्पर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, सैकेप्रथी/ समस्कर परिका एवं आयार कार्ड/ पंन कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड से किसी एक आई.डी. पुष्ठ के विवरण्ग विवार जा चुका है, वे अम्वर्थी एस.एस.की. पोर्टन <u>https://sso.rajasthan.gv</u> Apps (C2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आयार पर औननाई 4. अन्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के परवाल (पत्त स्थत). पोर्टन <u>ताहरी तिवर्ण</u> में किसी गा प्रकार कर दें। यदि इष्ममें कोई अत्यर्थ (प्रायार कार्ड). विवरण में किसी गा प्रका 4. अन्यर्थी द्वारा One Time Registration करार के प्रवाल प्रति कार्वर के जीवति विवरण करे डियोल कि स् साक्षानीपूर्वक मिलान सुनिषित्रत कर स्वी। यदि इष्ममें कोई अत्तर हे तो जनायर कार्ड / इर्ज वियार कर्ड / आवार वार्ड/ दिता जॉनलाईन आवेदन पत्र भर से पूर्व आयार कार्ड में तर्ज प्रविष्टि या पर्व का नाम, पिन पत्रीका युलानोई तो तीतनाई वार्ड वोर कर से पूर्व आयार कार्ड में त्	ave जायन जा लाखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बिचित सेवा नियम का अ क्राप्यर्थियों के लिए दिशा- लब्ध Apply online lin an Apps (G2C) में च हुधांstration (OTR) कर ई/ ड्राइविंग लाइसेस आई <u>pv.in</u> से Login कर CI न आवेदन करें। तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/र का संशोधन किया जाना तोवेजों में अंकित प्रविधि का नाम, जन्मतिथि व वि लगी हुई फो ट्रे वर्ग या स्ताहिर सी क्रेया जा सके। ubmit करने से पूर्व अपने										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। वे परीक्षा क्सनुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न क्सरुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विरत्त पाव्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक के जारी किया जाएगा। विरत्त पाव्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक के जारी किया जाएगा। विरत्त पाव्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक के जारी किया जाएगा। विराह 28.11.2024 से दिनॉक 27.12.2024 रात्री 12–00 बजे तक। 1. उत्तम पद हेतु औतताईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व संप्रयुधन अन्यर्थी आयोग की वेक्साइट https://rpsc.rajasthan आवेदन–पत्र भरने के समक्य में दिये गये दिशा–निर्देश (Instructions for Applicants). विरसुत विज्ञापन पूर्व सं आवरचर रूप से कर के तंदी तपुरापत्त की जगथी औतालाईन आवेदन करें। <u>आयोग की वेक्साइट पर उपलब्ध अ</u> (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही माग/हिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेक्साइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उप Click कर अध्वा एस.एस.औ. (SO) पौर्टन <u>https://sso.rajasthan.gov.in</u> से Login कर Citizer Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वार One Time Re अयर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, सैकेपडी/ समाक्स प्रसिष एवं आवर काई/ पैन कार्ड/ वेर कार्ड से किसी एक आई.d. पूर्फ के विरणों का इन्दाज एवं डॉक्यूनेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अन्यर्थियों हाल पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अपर्थी (स्परिस सीरा एवं आया कर्ड/ पैन कार्ड/ वेवट कार्ड से किसी एक आई.d. पूर्फ के विरणों का इन्दाज एवं डॉक्यूनेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अत्यर्थी हाल One Time Registration करने के प्रथत (OTR Profile में स्था के आयार पर ऑनलाई Apps (G2C) में उपलब्ध स्वराता का करने और प्रयत (पर आई. प्रे दिवर का नाम, जन्म परीक्षा का विरलए एवं आयार कार्ड/ प्रेन कार्ड/ प्रोटर कार्ड/ अड्राये राव्डरें आयार कार्ड/ के जाम, पिता के नाम, जन्म संक्ष सात्रानी अंतत ठा स्रार्ट, कर ते से पूर्व आयार/ उज्जाप्र आपर/ प्राजाह आई.डी. विरयन भा की सैकी मी क्राप सत्ती होगा। अत: OTR करने से पूर्व आयार/ उज्जासार/ SOS गोछल में अंकित वियग स्वार्ड में अधि	ave जायन जा लाखत gov.in पर उपलब्ध ऑन बचित सेवा नियम का अ म्बर्थियों के लिए दिशा– लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में च eggistration (OTR) कर पुं ब्राइविंग लाइसेंस आई का संशोहन किया जाना ताखि, तिंग, सैकेण्ड पी /२ का संशोहन किया जाना ताकि संडी सूचना आवेद सं किया जा सर्वे। ubmit करने से पूर्व अपने क करना अनिवार्य होगा।										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। व परीक्षा करतुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रष्टन करुतिष्ठ प्रकार के होंगे। विरत्तुत पादयक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी किया जाएगा। दिनांक 28.11.8024 से दिनांक 27.12.2024 रात्रि 12-00 बजे तक। 1. उक्ता पद हेतु ऑनलाईन आवेदन- पत्र भरने से पूर्व संप्रेष्ठम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://psc.rajasthan आवेदन-पत्र मरने के साबन्ध में दिये गये दिशा–निर्वेशा (Instructions for Applicants), विरज्तुत विज्ञापन एवं सं आवंदयक रूप से कर तथे। तदुपारत ही अन्यर्थी आंतानाईन आवेदन करें। <u>आयोग की वेबसाइट vt एपलब्ध अ</u> (Instructions for Applicants) विज्ञापन को सी भाग/हिस्सा माना जायेगा] 2. औनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उप Click कर अथवा एसएसओ. (SSO) पोर्टल https://sooraisthan.gov.in से Login कर Citize Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time RE अमयर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, सैकेपडरी/समक्र परीक्षा एवं आयार कार्ड नेपन कार्ट नेपत करे। योहा एक अव्यदा एसएसओ. (SSO) पोर्टल https://sooraisthan.gov.in से Login कर Citize Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time RE अमयर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, सैकेपडरी/समक्र परीक्षा एवं आयार कार्ड नी नाक दे तोटर कार्ड से किसी एक आई.दी, एक के वेदरणों का करने के पह वारात्र (ता R Portal के रान्न किसी वा कार्य (Greetion) कराने से पूर्व आयार कार्ड/पैन कार्ड/पोटर कार्ड /इंद्रियि ताइर्सा आंई.SO टीवर्क नी सिकी भी फ्रेश- नहीं होगा। अत OTR करने से पूर्व आयार जार्ड/पा वाइर्स आंई की विवरण का श्रैष्ठीकी काम, जमी परीक्षा का विवरण एवं आयार कार्ड/पैन कार्ड/योटर कार्ड/इंखर से तार्ड ही आयार कार्ड में त्रिये आयार कार्ड में तार्ड (Correction) कराने के प्रथ्यात ही OTR व ऑनलाई आदेदन पत्र वार्ड से जार्डि करा ही का	ave जायन जा लाखत <u>ave</u> जायन जा लाखत बंधित तेवा नियम का अ म्वार्थियों के लिए दिशा– लब्स Apply online lin n Apps (G2C) में च gjistration (OTR) कर ई/ ड्राइविंग लाइसेंस आई <u>bov.in</u> से Login कर CI न आवेदन करें। द्वाडी त्रांती से Login कर CI न आवेदन करें। जा संशोधन किया जाना तावेजों स्वे गे अकित प्रविधि ए प्रविस्थियों में आवश्यक स् का नाम, जन्मतिथि व ति लगी हुई फोटी युव भागे करना अनिवार्य होगा। अ करना अनिवार्य होगा।										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merii) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जाएगा। वे परीक्षा क्सनुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रष्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पावृत्यक आयोग की वेशसाईट पर पुष्क के जासी किया जाएगा। विनाक 28.11.2024 से दिनॉक 27.12.2024 पत्रि 12–00 बजे तक। 1. जत्वर पद हेतु औत्तार्वक आरंग की वेशसाईट पर पुष्क के जासी किया जाएगा। विनाक 28.11.2024 से दिनॉक 27.12.2024 पत्रि 12–00 बजे तक। 1. जत्वर पद हेतु औत्तार्वक आरंग की वेशसाईट पर प्राप्त के सांच तिका। आत्वेदन-पत्र भरने के समक्षम में दिये गये दिया–निर्देश (Instructions for Applicants). तिस्तृत विज्ञापन एवं सं आवरयक रूप से कर लेवे। तदुपरान्त ही अग्यथीं आंतानाईन आवेदन करे। आयोग की वेशसाइट Littps://psc.rajasthan.gov.in प्रत्न का वे के कर लेवे। तदुपरान्त ही अग्यथीं आंतानाईन आवेदन करे। आयोग की वेशसाइट पर उपलब्ध अ (Instructions for Applicants) दियापन कही भाग /हिस्सा माना जायेगा। 2. औंतलाईन आवेदन करने के लिए अन्यदियों को आयोग की वेशसाइट Hottps://rpsc.rajasthan.gov.in पर उप Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <u>https://sso.rajasthan.gov.in</u> से Login कर Clitze Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वार One Time Re अम्पर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, तैकेप्र्वरेश (भ्रत्यक संधी प्रधी प्राप्त कार्ड/ पैन कार्ड/ येदर कार्ड/ से किसी एक आई.डी. पुष्ठ के विवरणों का इन्द्राज एवं अंदय्र्वर अपने OTR नंबर/संख्या के आयार पर आंतनाई 4. अन्यर्थी द्वारा One Time Registration करने वे प्रवाल (OTR) नंबर/संख्या के आयार पर आंतनाई 4. अन्यर्थी द्वारा One Time Registration करने वे प्रवाल (पत्र को आपत्र त्वाप्र्यार) SSO मोणहल में अठित विरयण में किमी भा प्रकार 4. अन्यर्थी द्वारा One ताल स्थर्ट में प्रयाल हो पायार (SSO मोणहल में अठित विरयण का शैक्षणिक दस साखानीनपूर्वक मिलान सुनिषित्रित कर देने। यदि इम्मो कोई अत्तर हे तो जनाया कार्ड/ ते जामा कर्ड/ SSO ID की (Correction) कराने के प्रयवाद ही OTR व आंतलाई आवेदन पत्र करी जाताई ते जीत्वति करा नाम, पिन जीव हो तो औत्तवाईन आवेदन पत्र सरे से पूर्व आयार कार्ड में तुर्प्रायिट तथा पा	ave जायन जा लिखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बिचित सेवा नियम का अ स्वय्धियों के लिए दिशा- लब्ध Apply online lin n Apps (G2C) में ए ब्राख्येयन कहा (CTR) क ई/ ड्राइविंग लाइरोस आई <u>gov.in</u> से Login कर Cl न आवेदन करें। तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/र का संशोधन किया जाना ताकि सड़ी पुष्चना आवे को किया जा सहे। धोकिया जा सहे। धोकां करने से पूर्व अप्ने ड करना अनिवार्य डोगांगी राक्षेत स्र जिया जी लगाई जायेगी।										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। व परीक्षा क्सनुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रष्न क्सुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विरत्तुत पादयक्रम आयोग की वेबसाइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विरात्क 2811.2024 से दिनंक 27.12.2024 सोते 12-00 कते तह। 1. उत्तरा पद हेतु औरलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संप्रक्षम अन्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://psc.rajasthan आवेदन-पत्र मरने के साब्र्य्य में दिये गये दिशा–निर्देशों (Instructions for Applicants), विरत्तुत विज्ञापन एवं सं आवंदय कर से के रुप्ते हो। तदुरायन ही आयनी औरलाईन आवेदन करे। आयोग की वेबसाइट trups://psc.rajasthan 3. जात्वाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://psc.rajasthan.gov.in पर खर (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। 2. औनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://sc.rajasthan.gov.in पर उप Click कर अथवा एसरस्क्रो. (SSO) पीर्टन https://soorajasthan.gov.in से Login कर Citize Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वार One Time Re अमयर्थी के नाम, पिता के नान, जन्म तिथि, लिंग, सैकेप्रदरी/समकस परीक्षा एवं आयार कर्व /पैन कार्ड / वेर कार्थ से किसी एक आईदी, पुरू के विरयणों का झुन्ता खरा तुरा तुर्प्तर अपलें करने जीनवार्य होगे। 3. जिन अन्यर्थियों हारा Upe Time Registration करने के पहचात्न (DTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जना परीक्ष का विवरण एवं आधार कार्ड /पैन कार्ड / येदर कार्ड / प्रेन कार्ड / आयार पा अनिलाई 4. अपरर्थी हारा Upe म्याल सुचिरित कर रते से पूर्व आयार (SSO) प्रोलाइक में अकित विवरण का श्रैक्षिमी माय पर जीनलाई 4. अपरर्था त्र व्यात्ति कार्वदन पत्र से पूर्व आयार (SSO) प्राला का क्रे वर्ज प्रित्ती कि सी प्रकार नहीं होगा। अतः OTR करते से पूर्व आयार्य जर्ड / यत्र कित्र प्रात के जाता है, यदि आयार कार्ड / SSO ID की (Correction) कराने के परवात ही OTR व आंत्र वार्य हरा सार कार्ड में दर्ज प्रविटि त्या एवं का नाम, पिता जींव /परस के व्याति 00 मार्ड आयेदन कर से पूर्व प्रेवार कार्ड में दर्ज प्रविटि त्या फर्व	ave जायेग जा लाखत ave जायेग जा लाखत बहित तेवा नियम का अ मत्यखिंयों के लिए दिशा- लाख Apply online lin n Apps (G2C) में च बुडांstration (OTR) कर \$/ ब्राइविंग लाइसेंस आई pov.in से Login कर CI ना आवेदन करें। ब्राह्म की ट्राह्म तेक्य का संशोधन किया जाना तावेजी में अंकित प्रविधि प्रतिक्रि सही सुवना आवेद से किया जा सके। प्रकार ने से पूर्व अपने क करना अनिवार्य होगा। 1 स्वानी भी लगार्य जायेगी रने हेतु साथ लेकर आये। का अनिवार्य रूप से चयन										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जाएगा। वे परीक्षा क्सनुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ली जायेगी। सभी प्रष्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पावृरक्र आयोग की वेशसाईट पर पृष्ठक से जारी किया जाएगा। विन्तंक 28.1.2024 से दिनॉक 27.12.2024 रात्रि 12–00 बजे तक। 1. जत्व पद हेतु जीनताईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संत्रप्रधान अन्यर्थी आयोग की वेशसाइट https://rpsc.rajasthan आवेदन-पत्र भरने के समक्य में दिये भारे दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants). किस्तुत विज्ञापन एवं सं आवेदन-पत्र भरने के समक्य में दिये भारे दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants). किस्तुत विज्ञापन एवं सं आवेदन कर के से कर लेवे   तदुपरान्त ही अन्यर्थी आंगताईन आवेदन करें   आयोग की वेशसाइट Littps://rpsc.rajasthan.gov.in (Instructions for Applicants) दिशापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यार्थियों को आयोग की वेशसाइट (Https://rpsc.rajasthan.gov.in स Login कर लिंवा) तर्क ति कर अच्छा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <u>https://rsso.rajasthan.gov.in</u> स Login कर Citize Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वार One Time Re श्वर्मध्ये के नाम, पिता के नाम, जन्त तिथि, तिंग, तैकेप्र्वरे/ समसक्य संखिमा एवं आयो काई/ पैन कार्ड/वोटर कार्य से किसी एक आई.डी. पूर्फ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉवयूमॅट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अन्यर्थियों हाग पूर्व में OTR किया जा चुका है वे अग्यर्थी (साएस.डो). पोर्टन <u>https://sso.rajasthan.go</u> Apps (C2C) में उपजब Recruitment Portal वा चया कर अपने OTR नंतर/सॉख्या के आयार पर अंनिवार्ट 4. अन्यर्थी हारा One Time Registration करने के प्रथतात्र OTR नंतर/सॉख्या के आयार पर जीना 4. अन्यर्थी हारा वार्ड पर्य में प्रार्ध कार्ड / प्रे कार्ड/ योटर कार्ड/ प्रार्डवरे वा कार्यर्ड/ तिवरण में किमी भी प्रकार तत्ती ताना। अतः OTR करने से पूर्व आयार प्रजामाप्र/ SSO प्रोणहल में ओठित विवरण में हैमी भी प्रकान 1. जतिह व स्थावित ला सुतिश्वित कर से प्र यहस्ता रार्ड कर की जाती है यदि प्रांग के/ आवेदन पत्र 3 जावित क स्था वाजवत्त म अदिन कर करे साय यहस्ता एव	ave जायन जा लाखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बंचित सेवा नियम का अ क्रास्ट्रॉयों के लिए दिशा- लब्ध Apply online lin an Apps (G2C) में च gesistration (OTR) कर ई/ ड्राइविंग लाइसेंस आई <u>pv.in</u> से Login कर CI न आवेदन करें। तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/र का संशोधन किया जाना तोवेजों में अंकित प्रविष्टि प्रविष्टियों में आवश्यक ए का नाम, जन्मतिथि व वि लगी हुई फोटो 3 वर्ष या नाहि सड़ी प्र्याना आवे से किया जा सके। uhmi करने से पूर्व अपने ड करना अनिवार्य रूप से चयन के प्रनियर्य एवं आवश्यक i										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जायेगा। विरत्तव पात्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विरत्तव पात्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विरत्तव पात्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विरत्तव पात्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विरत्तव पात्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विरत्तव पात्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएगा। विरत्तव पात्यकम आयोग की वेक्साइंट भागठर, विर्या किया जाएगा। विरत्तव पात्यकम जे साक्स में दिये गये दिया–निर्देश (Instructions for Applicants), विरस्तुत विज्ञापन एवं सं आवरवत–पत्र भरने के साक्स में दिये गये दिया–निर्देश (Instructions for Applicants), विरस्तुत विज्ञापन एवं सं आवरयक रूप से कर तें ते तपुरापत्त ही आग्धन की बेक्साइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उप Click कर अथवा एस.एस.औ. (SO) पीर्टन https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Clitzer Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वर One Time Re अम्पर्थी के नाम, पिता के नाम, जम्म तिथि, तिंग, सैकेपकी/ समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्व/ पैन कार्ड/ येर कार्ड से किसी एक आईडी, पूर्फ के विरणों का इन्दाज एवं डॉक्यूगेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होगे। 3. जिन अभ्यर्थियों हाथ पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अम्पर्थी (स्परसडी), पीर्टन https://so.rajasthan.gov.in Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/ संख्या के आयार पर ऑनवाई 4. अग्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पृथवा (OTR Profile में रब्धा डे, विरयन में किसी मी प्रकार नहीं होगा। अत: OTR करने से पूर्व आयार/ उपीर कार्ड/ अधिर प्रधाय कार्ड/ विराय को जीमा, जन्म राही होगा। अत: OTR करने से पूर्व आयार/ उपीर जायार/ अडार प्रात के नार्ड के आई. (Correction) कराने के प्रत्तवाद्व ति OTR व जीनताईन आवंदन एक स्वर्त की कार्यवाई करें। जात्व/ परस के क्योठि One Time Registration में खुया साहर आत कर ले जाती है। यी आयार कर्ड में अधिक पुरानी है तो अंतलांत्र जायेवन पत्र सरे समय अधीन लाइ को दे ज्रदिएया पारा करे। वर्ति हो तार्व तिकरात्त	ave जायन जा लाखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन बंधित तेवा नियम का अ मत्यखिंयों के लिए दिशा- ालब Apply online lin ma Apps (G2C) में उ ggistration (OTR) कर {/ ब्राइयिंग लाइसेंस आई <u>bov.in</u> से Login कर Ci ताखिर, तिंग, सैकेण्डरी / र का संग्रेशन किया जाना तोखें, तेंग, सैकेण्डरी / र का संग्रेशन किया जाना ताकि सी सुचना आदेख के करना अनिवार्य होगा। रेशनी वर्य आय रेकर आये का अनिवार्य रूप से चयन में स्पष्टत. एवं आवरयक र में स्पष्टत. एवं आवरयक र में स्पष्टत. एवं आवरयक र										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षातकार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जाएगा। वे परीक्षा क्सनुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ती जायेगी। सभी प्रष्न क्सुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पावृर्यक्रम आयोग की वेशसाईट पर पृष्ठ के जासी किया जाएगा। विनाक 2811.2024 से दिनॉक 27.12.2024 रात्रि 12–00 बजे तक। 1. जत्वर पद हेतु जीनताईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संप्रेष्ठम अभ्यर्थी आयोग की वेश्साइट https://rpsc.rajasthan आवेदन-पत्र भरने के समक्षम में दिये गये दिया-निर्देषा (Instructions for Applicants). क्रिस्तुत विज्ञामन एवं सं आवेदन-पत्र भरने के समक्षम में दिये गये दिया-निर्देषा (Instructions for Applicants). क्रिस्तुत विज्ञामन एवं सं आवेदन-क अप के कर लेवे। तदुपरान्त ही अग्यर्थी आंतालाईन आवेदन करें। आयोग की वेश्वसाइट Littps://rpsc.rajasthan.gov.in (Instructions for Applicants) दिशापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यार्थियों को आयोग की वेशसाइट (Https://rpsc.rajasthan.gov.in स Login कर तिंक ते कि नम, पत्रे स्ति, तिंग, सैकेप्लर्थी/ समकक्ष सरक्षा एवं आयार कार्ड/ पत्र कार्ड/ पत्र कार्ड/ ये कार्ड/ ये कार्य, तिंग कि, तिंग, सैकेप्लर्थी/ समकक्ष संक्रीषा एवं आयार कार्ड/ पत्र कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येत्र कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ आयार कार्ड/ येत कार्ड/ येतरा कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येत्र यायाग प्रथाया / प्रथाया अंत्राया र्ड/ अप्ति कांग्र, अंतराई स्वराया के वायरण एवं आयार कार्ड/ में कार्ड/ योटर कार्ड/ व्राइविंग सार्ड्र आयाई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार परीक्ता प्रवार्ड/ वाया कार्ड/ येत कार्ड/ येत्र कार्ड/ वावदेतरा पत्र के प्रयाया कर्ड/ वा कार्य/कार्ड कार्ट कर संवरा वा सर्य परि कर से पूर्व आयार/ जन्जामार/ SSO गोणहल में औरति विरण्या के वायार कार्ड/ वार्डीता का व्रारवर पत्र महे ये प्रवारा पर्य कर से प	ave जायन जा लाखत ave जायन जा लाखत बंधित तेवा नियम का अ त्वास्थियों के लिए दिशा- लाब्स Apply online lin ता Apps (G2C) में च gesistration (OTR) कर हुं/ झूड्विंग लाइरोस आई gov.in से Login कर Ci न आवेदन करें। तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/र का संशोधन किया जाना तातेक सी प्रेया में आवश्यक स् का नाम, जन्मतिथि व दि लगी हुई फोटो 3 वर्ष या ताकि सी प्रेयुना आदेव से किया जा सके। ubmi करने से पूर्व अपने ड करना अनिवार्य रूप से चयन में स्पष्टत: एवं आवश्यक i देदन की अंतिम तिथि के л अनुवा ही बाद में ज										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षातकार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merii) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जाएंगा। विरत्त पाव्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएंगा। विरत्त पाव्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएंगा। विरत्त पाव्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएंगा। विरत्त पाव्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएंगा। विरत्त पाव्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएंगा। विरत्त पाव्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएंगा। विरत्त पाव्यकम आयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएंगा। विरत्त पाव्यकम अयोग की वेक्साइंट पर पृथक से जारी किया जाएंगा। विरत्त पाव्यक स्थ से कर तेवे। तदुपरान्त की अग्वथी आंतजाईन आवेदन करे। आयोग की वेक्साइट Intps://rpsc.rajasthan.gov.in आवेदन-पत्र भरने के समक्य में दिये गये दिया-निर्देश (Instructions for Applicants). विरस्त विजाग एवं से आवराक रूप से कर तेवे। तदुपरान्त की आयोग की वेक्साइट Intps://rpsc.rajasthan.gov.in पर पर Click कर अध्या एस.एस.औ. (SO) पीर्टन Intps://ssorrajasthan.gov.in से Login कर Clitzer Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम वार One Time Re अयर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, तिंग, सैकंपश्ची/ समकक्ष प्रकीस पर्काय कार्ड/ पैन कार्ड/ वेदर कार्ड से किसी एक आई.बै, पूर्फ के विरणों का इन्दाज एवं डोक्यूगेंट्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे। 3. जिन अभ्यर्थियों हाल पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अपर्थी एस.एस.डी. पीर्टन Intps://soorajasthan.gov. Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/ संख्या के आयाग एव ऑनलाई Apps (G2C) से उपलब्ध Recruitment करने के पृयदा (OTR Profile में रब्य के नाम, पिता के नाम, जन्म परीक्ता का विरलए एवं आयर कार्ड/ पैन कार्ड/ योटर कार्ड/ प्रुविय खाय खाई.डी. विरयन मी की मेकपर नही होगा। अतः OTR करने से पूर्य आयर करों वे स्थाय प्रि कार्ड ते जानहार कार्ड/ आयार कार्ड / किनी पी क्रम त्रीहों ला (द्रांत कार्डन पर सामय इस्सो आयर) अखायर कर्ज में वर्ज प्रिति यया स्वर्य के नाम, एवन त्रीहों ना कुरत के स्था सिरिय ता आयर के सं युर्ड आयर कर्ड में दर्ज प्रिति रिवया चया कार्ड / अली नाम, जर्म (G	ave जायन जा लाखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन- बंधित तेवा नियम का अ मत्यखिंयों के लिए दिशा- स्वाक्य Apply online lii n Apps (G2C) में द ggistration (OTR) कर {/ ब्राइविंग लाइसेंस आई <u>bov.in</u> से Login कर CI ना आवेदन करें। तिथि, तिंग, सैकेण्डरी /२ का संग्रेषन किया जाना तोवेजों में अंकित प्रविधि व ति लीम हुई फोटो 3 वर्ष या लाकि सडी सूचना आर्थती का जनिवार्य होगा। स्वान्ती भी लगाई जायेगी रेसे हिस्पा जा सके। धोलायं करने से पूर्व अपने क करना अनिवार्य होगा। स्वान्ती भी लगाई जायेगी रेसे बिक्या जा सके। धोलायं करत आयं का अनिवार्य होगा। स्वान्त की आर्तवार्य कम में स्पष्टतः एवं आवरयक क ये स्पष्टतः एवं आवरयक वत—पत्र क्रमांक (Appli										
एवं मा परीक्षा पाठ्यद्र आवेदन्	ाह योजना क्रम न अवधि	पूर्व साक्षातकार में प्राप्त कुल अंको के योग के अनुसार मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सुचित किया जाएगा। वे परीक्षा क्सनुनिष्ठ रूप में (Offine/Online) ती जायेगी। सभी प्रष्न क्सुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पावृर्यक्रम आयोग की वेशसाईट पर पृष्ठ के जासी किया जाएगा। विनाक 2811.2024 से दिनॉक 27.12.2024 रात्रि 12–00 बजे तक। 1. जत्वर पद हेतु जीनताईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व संप्रेष्ठम अभ्यर्थी आयोग की वेश्साइट https://rpsc.rajasthan आवेदन-पत्र भरने के समक्षम में दिये गये दिया-निर्देषा (Instructions for Applicants). क्रिस्तुत विज्ञामन एवं सं आवेदन-पत्र भरने के समक्षम में दिये गये दिया-निर्देषा (Instructions for Applicants). क्रिस्तुत विज्ञामन एवं सं आवेदन-क अप से कर लेवे। तदुपरान्त ही अग्यर्थी आंतालाईन आवेदन करें। आयोग की वेश्वसाइट Littps://rpsc.rajasthan.gov.in (Instructions for Applicants) दिशापन का ही भाग/हिस्सा माना जायेगा। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्यार्थियों को आयोग की वेशसाइट (Https://rpsc.rajasthan.gov.in स Login कर तिंक ते कि नम, पत्रे स्ति, तिंग, सैकेप्लर्थी/ समकक्ष सरक्षा एवं आयार कार्ड/ पत्र कार्ड/ पत्र कार्ड/ ये कार्ड/ ये कार्य, तिंग कि, तिंग, सैकेप्लर्थी/ समकक्ष संक्रीषा एवं आयार कार्ड/ पत्र कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येत कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येत कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येता कार्ड/ येत कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कार्ड/ येतर कर्ड/ य्रार्ड सार्या के आयार पर जीताई से किसी एक आई.डी. प्रुष्ठ के विश्वरणों का प्रयाण चुका हे ये अग्यर्थी एस.एस.की. पोर्टन <u>सार्या के आयार पर्व नार्ड</u> / स्वाहार्टा, येतर प्रत्र आयार कार्ड/ पत्र कार्ड/ योटर कार्ड/ य्राइदीया लास्क्रंस आई.डी. विरयम में किना। 3. जिनत अन्यर्डी द्वारा पति कार्ड के सुर्य् अधाय जन्याप्र/ SSO प्रोणहल में औरति विरयम में किमी भी प्रकार संवी गा। अतर: OTR करने से पूर्व आयार कार्ड में जीनलाईन आवेदन पत्र को जालों कार्य या अंग्रा 4. अत्यर्डी आतारा कर तार्ड वे यार्ड स्तर संय इरास्तार	ave जायन जा लाखत <u>gov.in</u> पर उपलब्ध ऑन- बंधित तेवा नियम का अ मत्यखिंयों के लिए दिशा- स्वाक्य Apply online lii n Apps (G2C) में द ggistration (OTR) कर {/ ब्राइविंग लाइसेंस आई <u>bov.in</u> से Login कर CI ना आवेदन करें। तिथि, तिंग, सैकेण्डरी /२ का संग्रेषन किया जाना तोवेजों में अंकित प्रविधि व ति लीम हुई फोटो 3 वर्ष या लाकि सडी सूचना आवेदि दोगा। स्वान्ती भी लगाई जायेगी रसे हेत्र साथ तेकर आये का अनिवार्य रूप से चयन में स्पष्टतः एवं आवरयक र वसन की अंजित यिथे के n/अनुमव ही बाद में ज दन-पत्र क्रमांक (Appli										

5 C 19	11. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर	दिये गये Helpdesk Number
	या E-Mail पर सम्पर्क करें। 12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन–लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने,	/ तथ्य छपाने पर आयोग अभ्यर्थी
	पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।	
	13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से मिन्न राज्यों जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creany Layer and Non-Creany Layer)/आर्थिक रूप से कमप के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन कूचना होगा।	जोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग
	14. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेवे कार्या के किंदी क के किंदी के क के किंदी के क किंदी के किंदी क किंदी के किंदी के के किंदी के किंदी के किंदी के किंदी	
4.1.3	15. अम्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र मरने के पश्चात्त् आयोग की वेक्साईट पर Exam Dashboard का समय-समय प की परीक्षाओं/मर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृथक से सूह है।	
ऑनलाइन आवेदन प ऑनलाईन आवेदन मे	16. आयोग द्वारा अन्यर्थी से उवत प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किर्स या ऑफलाईन/ झाथ से भरा हुआ आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाईन पद्वा यत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submi किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की जुर्दी ( OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व तियंग के अतिरिक्त अन्य जुटि संशोधन निन्नानुस	वार स्वीकार नहीं किया जायेगा। टे का पता लगता है तो अभ्यर्थी
1. यदि कोई अभ्यश	र्भी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम 1	दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के
भीतर निर्धारित दिशा–निर्देशानुस् ही होगा।	<b>शुल्क रूपये 500/-</b> का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट https://rpsc.i गर) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि	rajasthan.gov.in पर उपलब्ध का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का
पिता के नाम, ज	ाम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके ान्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।	
स्थिति में ही वर्ग	वियाइ / तलाकशुदा / परिपयत्ता महिला ऑनलाइंन आवेदन की अत्तिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विच्छिन्न विद रं परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइंन संशोधन के अवसर्ते का उपयोग कर सकेंगी। gistration (OTR) लागू किये जाने के कारण औनलाइंन आवेदन में अम्पर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग	a da serie de serie de
संभव नहीं होगा		
5. सभी प्रकार के उ	के संशोधन के पश्चात अन्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पं अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।	र्गे. के माध्यम से की जायेगी।
7. आयोग द्वारा अभ	क्षि आयोजन के पर्यवात किसी भी प्रकार का जुटि सुधार नहीं किया जायेगा। स्थर्भी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तराष्ठ से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोध लाईन परिवर्तन करने हेतु अन्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।	न प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी
एकबारीय पंजीयन शुल	क :— कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं हेतु एकबारीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया	गया है जो निम्नानुसार है:-
2. आरक्षित वर्ग (	रक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अन्यर्थी – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमीलेयर/	रूपये 600/-
	ने कमजोर वर्ग/सहरिया क्षेत्र) के अभ्यर्थी —	रूपये 400/-
<ol> <li>दिव्यांगजन – नोट :–</li> </ol>		रूपये 400/-
<ol> <li>राजस्थान सामान्य</li> <li>जिन अभ</li> </ol>	। राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से क वर्ग का अन्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अन्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होग यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम एजिन्द्रेशन किया जा चुको है, वे अन्यर्थी भी एसएसओ आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम	n la
	पर्युवतानुसार निर्धारित एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाएं। व्यांगजन अम्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपुरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:	
<ol> <li>अभ्यर्थी द्वारा अ श्रुतलेखक की</li> </ol>	गॅनलाईन आवेदन पत्र में दिय्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने व सुविधा प्राप्त करने के लिए वह पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अन्यर्थी को आयोग द्वारा जारी ग्यथा अन्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देव नहीं होगी।	
अभ्यर्थी एवं श्रुत 3. ऐसे दिव्यांगजन	। अन्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अन्यर्थियों को <b>परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व</b> दिव्यांगता : तेलेखक का वचन—पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतितिपि केन्द्राधीक्षक को परतुत । अन्यर्थी जो आयोग/केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अन्यर्थियों को <b>परीक्षा दिनांक से कम से कम दो</b> I—पत्र, अन्यर्थी का वचन—पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।	करनी होगी।
<ol> <li>The Rights o दृष्टिबाधित (Bl प्रमाण–पत्र, अग के मामले में ले</li> </ol>	f Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहल् परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रति lindness), लोकोमोटर डिसोबेलिटी (दोनों हाथों की निश्वकत्ता–Both Arms) एवं संरेखल पाल्सी श्रेणी वाले कम्पर्थी द्वारा चा यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उचल श्रेणियों के अलावा Section-2(r खन कार्य में अरामर्थता के संखंध में मुख्य विकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की ब का विकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या सतिपूरक	हने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा ) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी साईट पर उपलब्ध Appendix-
<ol> <li>The Rights or लेखन कार्य में दिव्यांगता का और/या क्षतिप्र</li> </ol>	ध Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहल परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कमे नि असगर्थता के संबंध में मुख्य विकित्सा अधिकारी/विकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण–पत्र (आयोग की वेबसाईट प विकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्या (उरू समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से <b>कम से कम दो दिवस पूर्व</b> समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क (7) या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।	ःशक्तता) की श्रेणी के मामले में ार उपलब्ध Appendix-D) एवं र्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा
6. श्रुतलेखक के स	iबंध में विस्तृत निर्वेशों एवं प्रमाण–पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important I services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाईट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी निर्वेशों को विज्ञापन का ही	
नियम 14 के अनुसार	Physical fitness:	C 13800
interfere with Authority no candidate pr medically ex comparable	or direct recruitment of the Service, must be in good mental and bodily health and free from any mental h the efficient performance of his duties as a member of Service and if selected must produce a certificate to tilled by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of suc monted in the regular line of promotion or who is already serving in connection with the affairs of the S samined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two p for efficient performance of duties of the new post and his age has not reduced his efficiency for the purpo-	that effect from a Medical h certificate in the case of a tate, if he has already been osts held by him are to be use.
(2) Except in the	case of women candidates no candidate, who is lass than 168 Cms. In height and whose deflated chast n	approximation for the P1

(2) Except in the case of women candidates no candidate, who is less than 100 cms. In negativation and whose deflaces energy Cms. and inflated less than 86 Cms. with a minimum 5 Cms. expansion of chest shall be deemed to be physically fit;

2

- Provided that:(i) the height and weight of women candidates of any category shall not be less than 152 centimetre and 47.5 kilogram respectively, except Saharia candidates.
  (ii) candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes whose height and chest measurements are less by 5 centimetres shall be deemed to be physically fit in case requisite numbers of suitable Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates possessing physical fitness standards as laid down in sub-rule (2) of rule 14 are not available.
  (iii) the height of Garthwali and Gurkha candidates shall not be less than 160 centimetre and their deflated and inflated chest must not be less than 79 and 84 centimetre, respectively;

3/6

, 110 2011	S. No.	following pattern :- Subject	Duration	Maximum Marks	
	1	General Hindi	2 hours	200	
	2	General Knowledge & General Scient	ce 2 hours	200	
		(To be a	nswered in English or Hindi)		
		Note :- Syllabus and standards of each s	ubject will be designed in consu	Itation with the Commission	
y the Con on the basi	nmission or the s of merit based	no obtain 36 percent of marks in each paper Recruitment Board as the case may be. The I on the aggregate marks obtained in the wr relaxation up to 5 marks will be available to	Commission shall send the list of itten examination.	f such successful candidates up to 20 time	es the number of vacanci
		who are declared successful in the written e			
Superinten districts as physical ef the written lon the agg	im-Inspector G dent of Police/ may be notifie fficiency test shi test and in the Provided that the regate marks ob	eneral of Police or his representative not Commandant nominated by the Director G d. The Physical efficiency test would be v all carry 100 marks and the candidate who is physical efficiency test shall be eligible for e number of candidates called for aptitude to tained both in the written and in the physic	below the rank of inspector G eneral-cumInspector General of igorous as laid down by the Dire secure 50% marks there in, shall aptitude test and interview. est and interview shall be restricted al efficiency test except in the car	eneral of Police, One Deputy inspects Police for Physical efficiency text for vz etor General of Police to adjudge suitab be eligible for selection. Candidates who ed to three times the number of vacancies se of scheduled castes and scheduled trib	on the basis of merit bas
andidate i	The aptitude tes in respect of suit edge of Rajasth	ccess of the prescribed limit if they have qu t and interview of the candidates qualifyin ability to the post, taking into consideration ani culture. The marks so awarded shall be y or N.C.C. "C" Certificate or who have of	g physical efficiency test, shall o s personality, address, tact, behav added to the marks obtained in t	carry 50 marks. The Recruitment Board iour, specialised training, aptitude for the the written test by each such candidate.	post, judgment, leadersl Candidates holding Deg
			RECOMMENDATION		
Provided t marks, are marks in ir	hat the Commis declared by Bo nterview and 40	recommend candidates, who have secured ssion may recommend women candidates, ard to be suitable for appointment to the ser % marks in the aggregates.	candidates belonging to the BC, vice with due regard to the mainte	, MBC, SC, ST, EWS who though failur enance of efficiency of administration, if	the candidates secure 50
नोटः– राज	ास्थान सिविल से	वेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 198	8 के नियम 18(A)(i) में विहित प्र	ावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम र	उत्तीर्णाकों में छूट/रियाः
दी जायेगी उक्त पद है	हेत आयोजित क	ो जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत	तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने	के संबंध में विशेष निर्देश:	
1.	Each question	has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5	. You have to darken only one	e circle (bubble) indicating the correct	et answer on the Answ
	Sheet using B	LUE BALL POINT PEN.	- Cit.		
2.	It is mandator If you are not	y to fill one option for each question. attempting a question then you have	to darken the circle '5'. If not	ne of the five circles is darkened, or	ne third (1/3) part of
	marks of ques	tion shall be deducted.			
		question paper, candidate must ascerta inutes beyond scheduled time, is provide		one of the circles (bubbles) for each	of the questions. Ex
5.	A candidate w	ho has not darkened any of the five ci	rcles in more than 10% questi	ions shall be disqualified.	
					10.00
	पूर्ण बिन्दु/नोट भ	: plication Form में अपना वही मोबाईल नम्ब	ए तर्र फेन आर्रनी थंकिन कों	निय गर तह गरीशा / साधातनार रत्यात्रि	संबंधी भावी सचना SMS
E-M पर अ	lail के माध्यम र अभ्यर्थी की स्वयं	ते चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित भ की जिम्मेदारी होगी।	मोबाईल नम्बर व ई—मेल आई.डी.	बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने	पर सूचनाएं प्राप्त नहीं
<ol> <li>अभ्यः</li> </ol>	र्थी यथासम्भव मे	बिाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परि	वर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किय	ग जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना अ	ायोग को शीघ भेजें।
कि र 4. <b>अभ्य</b>	तभी प्रविष्टियां स थीं आयोग द्वारा	नाईन आवेदन–पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑ ही–सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन निर्घारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम	में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही दिनांक का इन्तजार किये बिना अ	ो मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही	की जायेगी।
के दि	नेए आयोग जिम	नेदार नहीं होकर अम्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होग ई–मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आ	TI		
सम्पूर योग्य उसव <b>उपर्यु</b> किय	र्ण जिम्मेदारी स्व ता इत्यादि संबंध हा प्रिन्ट लेकर ज वित्त निर्धारित प्र जिलाएगा एवं ऐस्	ायं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक स भी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। क्रेया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर में किन्म भी चटि का समर्प दायित्व ख्यं अ	र्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन–पत्र के करने के पश्चात् त्रुटि होने पर र अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि र लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार म्पर्थी का ही होगा। साथ ही आवे	5 Preview में अपनी जाति/वग/श्रणी, उन्हें सुधारने के पश्चात् ऑनलाईन आयेदन पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन र का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संश दक को यह भी हिदायत दी जाती है कि व	आयु (जन्म दिनाक), वि —पत्र को Submit करें आवेदन–पत्र में संशोधन धिन/परिवर्तन स्वीकार आवेदक अगर ई–मित्र अ
आपव	का ऑनलाईन अ न होगा।	न करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई–मित्र अथ 1वेदन–पत्र सही–सही भर दिया होगा⁄जाये	गा। किसी भी प्रकार की गलत सू	चना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरू	न्द्व कायवाहा किय जान
<u>के प</u> जा वर्ग	<b>।श्चात् श्रेणी में र</b> सकता है, जिस ⁄ उत्कष्ट खिल	मपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया प तु <mark>धार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी।</mark> की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। ताडी/मृतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/	गलत श्रेणी में आवेदन करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनज 'विधवा/विच्छिन्न विवाह/तला	आवदक का आवदन—पत्र आयाग द्वारा वि नाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वग् कशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य	त्सा मा स्तर पर रद्दा व /आर्थिक रूप से कम कर्मचारी/गैर राजप
कर्मच निर्धा जाये में ज संबंधि	वारी/मंत्रालयिक रित कॉलम में द गा और ऐसे अभ ते श्रेणी/वर्ग भर वेत वर्ग/श्रेणी र दक /अभ्यार्थी क	कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के इन्हें अन्यथा Online Application Form प्रा यूथिंगों को जो के उत्तत वर्ग का उल्लेख नहीं री/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर व रे संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज जो कि औं अंग्रेन्टार्टन य्योहन–पत्र / यहत कर	अभ्यर्थी Online Application Fo एति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/ र करते हैं तो वर्ग विशेष का लाग / नार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/ नार्ल्ड्रन ओवेदन की अंतिम तिथि से प्रावता रुदद कर वी जायेगी जिस	vm प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने व संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के व वेज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/ वर्ग में ऑनला: 1 पूर्व का/ तक का बना होना चाहिए. यथा तकी समस्त जिम्मेदारी रवयं अन्यर्थी की है	बाद वर्ग पारवतन नहीं । द्वारा ऑनलाईन आवेदन- ईन आवेदन–पत्र भरा है : समय प्रस्तुत नहीं करने गी।
7. आवे अर्ना द्वारा द्वारा साथ की वर्ग राज	दक जिनके ऑन न्तम (Provisio उसकी उम्मीदव आवेदकों की प समस्त आवश्य जाँच करते समय / आर्थिक रूप से पत्रित कर्मचारी/	लाइन आवेदन पत्र, आवंदन-पत्र प्रापि को snal) रूप से संबंधित मर्ती परीक्षा/ साक्षाल शि अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अध्यय मात्रता को जॉब अलग से की जायेगी। अख्य क दस्वावेयों की स्वरमागिति फोरेटा प्रेसियों प् तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जॉब करते कमजोर वर्ग / उत्कृष्ट दिवाजाड़ी / यूनपूर्य सीन मंत्रातविक कर्मचारी / दिमागीय कर्मची / सिमागी कर्मची	आन्तम दिनाक तक आयाग कोया जार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 1 जम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में 1ई रूप से वयन होने की स्थिति त्वं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता क/अनुसूचित क्षेत्र/विचया/विवि न्य शर्ता की पालना नहीं करने के	लिय को पूण सूचना साहत प्रोप्त होग, पर के लिये प्रश्नेपन्प्र जारी करने का यह उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान में आदेवक को <del>औनतार्बुन विस्तुत आदेव,</del> की प्र <b>ति भी अपलोड करनी होगी</b> । आयोग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उनन्य विद्य ह/ततानम्युदा/परित्यस्ता/विक कारण यदि अपयों की अपात्रवा का पता	न आवदका का आयाग अभिप्राय नहीं है कि आ । ली गई है। आयोग/वि —पत्र भरना होगा एवं इ । द्वारा उम्मीदवार की पा ते/पिछडा वर्ग/अति पि
a and	मनीवन में अनवा	केसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जि ई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त 3 रित समयावधि के उपरान्त यह लिंक स्वतः	गगोग ताज अम्यर्थी को ऑनलाईन	। विस्तत आवेदन पत्र भरे जाने हेत निर्धा	रेत समयावधि के लिए f फलाईन विस्तृत आवेदन

खोला जायेगा। भिर्धारित समयावि के उपयत्त यह लिंक रसतः ही निक्रिय हो जायेगा। उसके उपरात्त किसी भी प्रकार का ऑनलाईन/ऑफलाईन विस्तृत आवेदन पत्र रवीकार नहीं किया जायेगा एवं अन्यर्थी को अन्यर्थिता रदव कर दी जायेगी, जिसकी सामस्त जिम्मेदारी अन्यर्थी की होगी। नाननीय उच्च न्यायालय, जायुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आएपीरसरी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रारित की अन्तिम दिनांक तक विखा/परिएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रारित की अन्तिम दिनांक तक विखा/परिएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रारित की अन्तिम दिनांक तक विखा/परिएससी बियिज्ज/तिवाक्युदा /परित्यका वर्ग प्रारित की अंतिम दिनांक के पश्चात पुर्वार्येवाक कर लिया जाता है तो मी उसे विख्या/विष्ठिन्म विवार/तित्वका वर्ग को काम दिया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भए एवं ट्रोट सुपार सामोगन अविध के प्रचात कोई अन्यर्थी आकन्तिक करू से दियांग/विख्य हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परिक्रा/संतीक्ष प्रतित की अंतिम दिनांक के पश्चात पुर्व द्वेप सुपार प्रधान कोई अन्यर्थी आकन्तिक करू से दियांग/विख्या हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परिक्रा/संतीक्ष प्रतिन कार्जतर के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करत्ना होगा जिसके लिए उसे विखया हेतु आधार-कार्ड, मुत्यु प्रमाण-पत्र - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता प्रवान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल नियास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दियांग देतु निशक्तता प्रमाण-पत्र 9.

10.

a

मय 500/- रूपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक वरण होने पर प्रथम वरण की परीक्षा उपरांत अम्पर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाम आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आघार पर चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी रिव्यु/पुनरावलोकन नहीं किया उ रियः / पुन्तरावोकन नहीं किया जायेगा। विश्विङन विवाह/तलाकशुदा/परित्यवत्ता महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री

- 11. विधिछन्न विवाह/ततालघुवा/परित्यता महिला अग्यथा को आंगलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की आतम दिनाक तक सक्षम न्यायालय होप पार्सत न्यायालय किछा (माननीय राजस्थान रखन न्यायालय, जोपपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुषा) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाम प्रदान किया जाएगा। परित्यता/तलाकगुवा/विवाह विधिछन्न आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विवाशघीन/लमित है एवं डिक्री ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यता/विवाह विधिछन्/तलाकगुवा श्रेणी/वर्ग का लाम देय पार्ट केया जाएगा। विधिछन विवाह तिताकगुवा/परित्यता श्रेणी को महिता को ओंतलाइंन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अववा विधिछन विवाह तिताकगुवा/परित्यता श्रेणी को महिता को ओंतलाइंन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अववा विधिछन विवाह त्यालगुवा/परित्यता श्रेणी को महिता को ओंतलाइंन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अववा विधिछन दिवाह रतालगुवा/परित्यता श्रेणी को महिता को ओंतलाइंन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला का आवेदन को आंतिम तिथि तक अववा विधव के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये आतेम संक्रि प्राप्त प्र प्रसुत करना होगा। आवेदक उत्तर पद हेतु तनी आवेदन करे जब वह उत्तर पद हेतु विधाम में निश्चित निन्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वाछित श्रेशीक प्रिय पत्र प्रजुनव से संबंधित नहीं विधा जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में दो पड़ी वाछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुमव के अंतिरित्त अनय किसी योग्यता एवं अनुमव को आयेग हमा वायोगा।
- 12.
- 13 माना जायेगा।
- माना जायगा। आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छुट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छुट नहीं दी जायेगी। परीक्षायियों को ई-प्रदेश—पत्र पर उल्लिखित विरतृत दिशा—निर्देशों की पालना सुनिष्टिकत किया जाना आवश्यक होगा। परीक्षा के दौरान प्रसन पत्र/ओएमआर, पत्रक/उत्तर पुरित्तका में अंकित दिशा—निर्देशों को घ्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा। दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रसन पत्र/आएमआर, पत्रक/उत्तर पुरितका में किसी प्रकार की गतती/ज्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार 15.

- होगा 17.

- प्रधान-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/ सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/ त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अम्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

- भार पाजाय होगा। प्रता करता करता करते के विषय प्रयास राजाय राज होगा। परीक्षार्थी हार केन्द्राधीकंठ,अभिजागर/आयो परा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी हारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पत्का केन्द्रा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुवित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुवित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है साथ ही परीक्षार्थी के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (मर्ती में अनुवित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा 18.
- नियमानसार कार्यवाही की जायेगी।

- यदि किसी अन्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग/ संघ लोक सेवा आयोग/ अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/ उपयोग या अनुचित/ अमद्र
- व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की
- व्यवहों के हिंदू भारत का राजनाता गांजनाता काम के निर्माण (Second Friend) जुनुति प्रदान नहीं की जायेगी। राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुत्तीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के 20.

- कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

- कर्मचाशै सामान्य अस्थर्थी ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाम नहीं दिया जायेंगा। प्रमाण—पत्नों का सत्यापन: आवेदक को वर्ग रिशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भृतपूर्व सैनिक/ अनुसूचित क्षेत्र / विरिध्न / विराह /तलाकशुदा/ परित्यक्ता / विकलांगता/ राज्य कर्मचाशे/ मेरे राजपत्रित कर्मचाशे/ मंत्रातविक कर्मचाशे / विमागीय कर्मचाशे / अन्य के लाम तब ही देव होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा / संवीक्षा परीक्षा रेखा होने पर मूत दरसावेजों से उसकी पात्रता की जॉव में दरसावेश राहत करना हो। अतः पात्रता की वींव हेतु निम्नलिखित दरसावेज प्रसुदा करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-1. कार्मिक (क-2) विमाग के परिपत्र दिनांक 2001.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अस्पर्थियों को आरक्षण का लाम लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र प्रसुद्ध त जीति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अस्थर्थियों को आरक्षण काम लोने हेतु जाति प्रमाण-पत्र प्रसुद्ध त जीती तिथित तक जारी किया हुआ प्रसुत करना होगा परन्तु यित्र किरी कारणों से तो परे अन्यर्थी को इस आयय का याथ्य-पत्र प्रसुद्ध करना होगा कि वह आवेदन की अतिन तिथि तिथ तारी विधि वह पारी ते परे अन्यर्थी को इस आयय का याथ्य-पत्र प्रसुद्ध करना होगा कि वह आवेदन की अतिन तिथि ति विधि त के पश्चित जित्या वा
- ता एस अस्पर्था को इस आशय को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कि वह आवदन का आनतन तिथि को संसाद वर्ग को पातरा (खता था तथा था के पूर्वमा गर्लरा भाय जान पर उसकी नियुद्धित निरस्त की जा सकेनी। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविधियां सही-सही एवं पूर्ण मरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार **रिता एवं माता की आय के आधार पर** सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रसर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरवेत प्रवर्ग का लाम प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्रधिकारी द्वारा विधाह प्रस्तम आया के आया राय स्वाम प्रार्थिकारी द्वारा विधाह त्र स्वाम जारी किया हुआ नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विरत्त आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्चक के अन्यथा उसे वर्ग का ताम देव नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 2.
- क जातर कार्य आप आग भाग भग पत्र होगा। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अन्यर्थियों को आरक्षण का लाम देय नहीं है। अतः ऐसे अन्यर्थियों को Online Application Form <sup>2</sup> सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- सामान्य धन क आवश्वक करूप न आवश्वन करना छागा। अनुसुर्पूरित जाति /अनुसुर्पित जनजाति क प्रमाण पत्र सखम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसुर्धित क्षेत्र का प्रमाण–पत्र कार्मिक विमान की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना
- चाहिए।
- भारुर। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाम प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तुत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाम देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- के नाम व निवास ख्याने के आधार पर जारा जात प्रमाण पत्र मान्य महा हागा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assess Certificate) अन्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये। शैक्षणिक प्रश्नैक्षणिक योग्यता /अनुगव आवेदन की अंतिम दिनांक /परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे– अंगी/वर्ग/जाती /अनुसूचित क्षेत्र अर्थे प्रार्थ का मुला निर्धारित प्रपन्न में प्रतिणि राश्रेष सभी प्रमाण पत्र जैसे– अंगी/वर्ग/जाती /अनुसूचित क्षेत्र अर्थे (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धाति प्रपन्न में प्रमाण–पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी राश्रेष प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिताड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपतब दिया–निर्देशानुसार प्रमाण–पत्र), विकलांगता (समूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के स्वाम विकित्सा अधिकार प्रारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण–पत्र जिसले निश्चलतता की अंगी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचायी, मेर प्रजापति कर्मचारी, मेर पाजपतित कर्मचारी, के प्रार्थ के क्रिय कि के स्वारेष के के का विकलांगता प्रमाण–पत्र जियाति करियो का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य के किसी निष्क माता के स्वाय के स्वार के किसी भी राज्य के स्वाम विकित्सा आवश्यार घारा भारा 40 प्राराश था उसरा आवक का ावकलागता प्रमाण-पत्र जासमा गन्दावतता का अशा का स्पष्ट उल्लंख छो, राज्य कमवाध, गरे राजपति कमवाय, मंत्रालयिक कमंवारी, तिमागीय कमंवारी इत्यादि नियानुसार जारों होना आवरथक हैं। विद्या श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवंदक के पास परि का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (वया – विवाह प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादी वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यया विच्या श्रेणी/वर्ग का लाम देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यकता/तताकशुदा/विवाह दिखिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक साबन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान परित्यकता/तताकशुदा/विवाह दिखिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक साबन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान पत्रिच्यन/त लाकशुदा/ प्रीवाह दिखिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदन पत्र प्रापित की अंति दिनांक तलाक प्र विच्यन/त तलाकशुदा/ प्रेणी प्रा का लाम देय नहीं होगा।
- प्रध्य न्यायालय, आमपुर म DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रापि की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है. अन्याया परिप्यता/ विवाह विधियन/तताकशुदा श्रेणी/पां का लाम देय नहीं होगा। तूलपूर्ख सैनिक के संखय में युवाबान कार्मिक (क-2) दिमान की अधिसुवना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पॅशन अधिंत करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-मीतर संवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उपनने सक्षम प्राक्तिकारी निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर तिया है. पद के लिए आदेवन करने का पात्र होगा, होग, किन्तु पदाष्टण से पूर्व उसे समुग्रित नियुत्तिप्र प्रार्थकारी हो सारा स्वानिवृत्त को प्राप्त कर तिया है. पद के लिए आदेवन करने का पात्र होगा, होगा, किन्तु पदाष्टण से पूर्व उसे समुग्रित नियुत्तिप्र प्रार्थकारी से तराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर तिया है. पद के लिए आदेवन करने का पात्र होगा, रितन्तु पदाष्टण से पूर्व उसे समुग्रित नियुत्तिप्र प्रार्थकारी के समक्ष संवानिवृति का प्राणा प्रदर्श, त्यहा करना होगा। यदि कोई मृत्तपूर्व सैनिक निराक्षेप प्राणप प्रत्र (N.O.C) के आधार पर आवंदन करता / करती है और वासराविक संवानिवृत्ति को प्राणा प्रत्राति करने होगा। यदि कोई मृत्तपूर्व सैनिक नियर्धि राषाण प्रत (N.O.C) के आधार पर आवंदन कराता (म्रत्र हि और वासराविक संवानीवृत्ति में प्रयाण कने के एर प्रवात त्यास्थान वानावी के शिखित कर सकेगा और उसे उसकी संवानिवृत्ति के यो माड की किसी कालावीक के मितर-नीतर पद प्रष्यण के ने कि एप्रवात किया जायेगा। कार्मिक (क्र-/2) विमाग के प्रत्र के प्रत के अतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी मृतपूर्व सेतिक ने आखाण का लान लेने के प्रचात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पर एक वार संवा ग्रहण करने ते घरवात किसावी के व्रार्व प्रार्व के प्रंतप्रे कि प्रयोगन को प्रयोगन के दिए (तर्व कि सरकार अंत्रीन नियोगन याथ करते हो राजस्थान सरकार के अधीन पुतर्वि किया जायेगा। परन्तु सीधी मीर्ती की सांग में जार्व के जार्व होता हि ता प्रारक्ष्या कि वार्य के क्र सं वर्याति करा सरकार के अधीन कि लिए उसे भुतपूर्व सीनिक को आवया कि स्वात्त ही किया जायेगा। परन्तु यह को सुत्त के कि साराक्ष सारका के आनि नितित प्रतार्य वाय करने से पूर्व दिनिन पदो के लिए आवंदन करता है कोर खारेति करी सरकारी नियोगक सरकार के आनि निती क
- भूला निर्भात सुरोपूर जानक भग ते पर ते। 9. शासन के परिपत्र क्रमांत पर(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होग। 10. ऐसा कोई भी अन्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के तिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों
- वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी

der



13. आदेदक को आतेता शंक्षाणक सरखा का चारंत्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्ररसुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चारंत्र क सम्बन्ध में कम अध्य को उल्लाख/आकत होना अंतरक होगा.
14. आदेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी युलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुत्ति प्राधिकारी को प्ररतुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक घार का उल्लेख नहीं होगा चाहिये जिससे राज्य संचा में नियुत्ति प्राधिकारी को प्ररतुत करना आवश्यक होगा.
14. आदेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी युलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुत्ति प्राधिकारी को प्ररतुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक घार का उल्लेख नहीं होगा चाहिये जिससे राज्य संचा में नियुत्त में बाजा/ समस्या उदयन्त हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दीपश्चिद्ध होने या प्रकरण/ जता राधिकारी होता जारी विकित्सा जॉच सम्बन्धी विकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुत्ति प्राधिकारी को प्ररतुत करना आवश्यक होगा.
15. आदेदक जो चवन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी हाता जारी विकित्सा जॉच सम्बन्धी विकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुत्ति के प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.
16. आदेदक जो घतने प्रतान संक्षम प्राधिकारी हाता जारी विकित्सा जॉच सम्बन्धी विकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय भत्युति करना आवश्यक होगा.
17. अन्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेया रियम के अनुसार आयोग का निर्णय धीतम होगा।
17. अन्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेता नियम के अनुसार आयोग का निर्णय धीतम होगा।
17. अन्यर्थी की योततां हंग आवंदन-पत्र मरने से पूर्व प्रकारी प्राध्य में प्रति प्रति प्रति माला/ <u>त्रिटरूप</u> खुप्तना प्रते प्रतिति सर्य में वाल स्वत्र कि साम का अपस्त को अपस्त को अल्पन आवश्य को आवार तरा नियम के अनुसार आयोग का निर्ण प्रयंगितात प्र रंगात्रित आवर मुद्द मुख्य में विरेष निर्देश अन्यर्थी औनताईन आवंदन-पत्र मरने से पूर्व प्रकारी स्वत्य मा या अपूर्ण आवेदन-पत्र मरे पर आवेदक को डातीति त्यमं संचा तियमों का अपयत्त आयाय से बातित्य परं संत्र सात्रित प्रते स्वत्य प्रिया संचा तियमों का अध्यत आयाय को वित्र स्वाद संचा नियम से कराते हतु यात्र के प्रते अत्यायों का आवया स्वाय करते हुए आवंतन-पत्र / व्रत-पत्र / व्रत-पत्र / प्रत-व्य हर्या दियो प्रित संचार संच सिया में सं विद्य के व विशेष नोट :--<u>बिशेष नोट</u> :-यहाँ यह उत्तरेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्त्रोत हारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूरना रह जाती है एवं उपयुंक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अन्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वाफित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि क कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा रदेव/निरस्त कर दिया जाता हैं. तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अम्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

- होना आवश्यक होगा।
- नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होती हैं. वहाँ वच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की अवयी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस जायनिय के अधीन नियुतित के दिए निर्रार्डत करी को उचे निर्राहन नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव हाथा किया लेगा का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि हम सिय के उपसंध किमी विधिया एव विधिन्न विवाह/तताकगुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुत्रित पर तागु नहीं होगा। तत्त्रमक्सी शाख-पत्र वारा स्र प्र स्व कर उपसंध किमी विधवा एव विधिन्न विवाह/तताकगुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिता छाता को तत्त्र कुल आपल-पड़ यथा समय प्रसतुत करना वाछनीय होगा। 11 आवेदक को विज्ञापन ने उत्त्लेवानुसार आवश्यक वाछित श्रैलिफ वोय्यता व अनुमव प्रमाण–पड़ यथा समय प्रसतुत करना वाछनीय होगा। 21 विधिक्रन विवाह/राताकगुदा/परित्यक भी भी की महिता को अनित्वर्स आवेदन की अतिन दिनांक तक एवं विधवा महिता को आदेदन की आतेम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधक करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधक की दिनांक तक पुनर्विवाह नही किये जाने संबंधी शयध्य पत्र प्रसुत करना होगा। 13. आवेदक को अनितम श्रैक्षीफ संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र यथा समय प्रसुत करना औरता। होना आवरयक होगा।

6/6